लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज तहसील में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों का सामाजिक समाघात आंकलन

अन्तिम प्रतिवेदनः सार–संक्षेप

प्रायोजक

कार्यालय जिलाधिकारी
लखनऊ

गिरि विकास अध्ययन संस्थान
सेक्टर–ओ, अलीगज़ हॉउसिंग स्कीम,
लखनऊ-226024

जून-2018

विषय सूची

शीर्षक		पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	सामाजिक समाघात आंकलन परियोजना का सार–संक्षेप	1–7
अध्याय–2	सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना	8–17
अध्याय–3	ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव तथा प्रभावित कृषकों के नाम	18–63
अध्याय–4	सामाजिक समाघात आकलन के अन्तर्गत आयोजित ग्रामवार जन सुनवाई विवरण	64–85
अध्याय–5	सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन से सम्बन्धित संस्तुतियां	86

अध्याय–1

सार–संक्षेप

लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज तहसील में पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात आंकलन परियोजना

लखनऊ से गाजीपुर तक के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विकास एवं निर्माण का कार्य उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपिडा) द्वारा किया जा रहा है। 341 कि0मी0 लम्बे हरित क्षेत्र एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय मार्ग 56 (लखनऊ सुल्तानपुर रोड) स्थित ग्राम चाँद सराय से प्रारम्भ होकर गाजीपुर बलिया रोड स्थित हैदरिया तक बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण अवधि से कुछ पिछडे जनपदों के आर्थिक विकास को बल मिलेगा

निर्माण की सुगमता के उददेश से संपूर्ण एक्सप्रेसवे को आठ भागों में बाँटा गया है। प्रथम भाग लखनऊ जनपद के चाँद सराय ग्राम से जनपद बाराबंकी के सनसारा तक है प्रस्तुत प्रतिवेदन लखनऊ जनपद के उन 12 ग्रामों के सम्बंध में है जिनकी भूमि एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जा रही है। जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका– मोहनलाल गंज तहसील के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 12 ग्रामों की सूची एवं प्रभावित क्षेत्रफल

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर)
1.	आदमपुर नौबस्ता	6.118368
2.	महुरा कला	3.147758
3.	बेली	5.0932
4.	चाँद सराय	10.612227
5.	देहरामऊ	8.337753
6.	हसनापुर	5.807534
7.	जौखण्डी	0.87048425
8.	मंगहुआ	14.307389
9.	पहासा	11.091658
10.	रसूलपुर आशिक अली	4.421024
11.	शहजादेपुर	0.983823
12.	शिवलर	5.2035
योग		75.99471825

भूमिकाः

प्रस्तुत प्रतिवेदन एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित समुदायों एवं ग्रामीणों पर पड़े प्रभावो का सामाजिक समाधान निर्धारण के सम्बंध में पूर्ण किया गया है। सामाजिक प्रतिघात निर्धारण में भविष्य में जन सुविधा के कल्याण के लिए प्रस्तावित नीतियों, कार्यक्रमों एवं परियोजना से सबधिंत क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावो के अनुमान एवं मूल्यांकन का विश्लेषण किया गया है।

प्रतिवेदन को सामान्य रूप में निम्नलिखित अनुभागों में बाटा जा सकता है।

1. परियोजना तथा इससे होने वाले लाभों पर दृष्टिपात/समीक्षा।
2. अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर दृष्टिपात/समीक्षा।
3. प्रभावित ग्रामों एवं परिवार का विस्तृत विवरण एवं पृष्ठभूमि सहित।
4. निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान प्रभावो के विवरण सहित प्रस्तावित निर्माण कार्यो से सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर प्रभाव।
5. परियोजना के फलस्वरूप होने वाले नकारात्मक प्रभावो को कम से कम करना तथा सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देना।

उपरोक्त को पुनः तीन भागो मे विभाजित किया जा सकता है।

1. ग्रामों के सामाजार्थिक एवं जनाकिकीय आयामों का विस्तृत विवेचन,
2. भूमि उपयोग, जीविकोपार्जन तथा समाजिक दृष्टि से भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप सम्बधिंत ग्रामों पर पड़ने वाले प्रभाव के परिमाण एवं प्रकृति का विश्लेषण ।
3. सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना, जिसके माध्यम से सामाजिक प्रभावो का प्रभावी प्रबन्धन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण में अपनाई गयी तकनीक इस रूप में चुनौतीपूर्ण हो सकती है कि इसमे सुझाई गयी विधाओं के सम्बंध में लिए जाने वाले निर्णयों के मूल्यांकन की प्रकिया में भविष्य में तत्कालीन परिस्थियों के अनुसार परिवर्तन सम्भव हो

सकते है तथापि प्रस्तुत प्रतिवेदन में इस प्रश्न के समाधान का प्रयास किया गया है कि परियोजना से किस वर्ग को लाभ हुआ तथा किसे नुकसान हुआ। इस हेतु कुछ विविध क्रियाओं को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत प्रतिवेदन को प्राथमिक एवं द्वैतिक दोनों स्रोतो से आंकड़ों का सग्रह पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन को पूर्ण करने में सम्बंधित विषयों में प्रकाशित साहित्य का भी उपयोग किया गया है जो निम्नलिखित हैः–

1. परियोजना का विवरण
2. परियोजना का आकार, अवस्थिति , क्षमता, लक्ष्य, लागत एवं जोखिम का विवरण
3. भूमि अधिग्रहण का आकार एवं गुण स्तर,
4. भूमि की प्रकृति , वर्तमान उपयोग एवं वर्गीकरण। कृषि भूमि की स्थिति में सिचँाई की स्थिति एवं फसल चक्र,
5. भू–जोत का आकार ,स्वामित्व का प्रकार, भूमि का वितरण/वर्गीकरण एवं आवासीय भवनों की संख्या,
6. भूमि की कीमतें तथा कुछ समय पूर्व में भूस्वामित्व में परिवर्तन, भूमि का हस्तांतरण तथा विगत 3 वर्षो में भूमि का उपयोग
7. तकनीकी साध्यता प्रतिवेदन (Technical feasibility report)
8. पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रतिवेदन,
9. लागू विधान एवं नीतियँा, तथा
10. उपलब्ध नक्शे एवं अन्य सूचनाओं (Inventory) की सूची

प्राथमिक आकड़ों का सग्रह निम्न स्रोतो से किया गया।

1. **ग्राम स्तरीय अनुसूची/प्रश्नावली**:–इस प्रपत्र पर ग्रामों के मुख्य एवं मुखर हितधारकों यथा ग्राम के मुखिया, पंचायत सदस्यों, लेखपाल, अध्यापकों जागरूक कृषकों

आदि द्वारा उपलब्ध कराई सूचनाये एकत्र की गयी। इसका उददे्श्य ग्राम की वास्तविक, पूर्ण एवं त्रुटि रहित सूचनाओं का सग्रह करना था।

2. **<u>प्रभावित भूस्वामियों/परिवारों हेतु अनुसूची/प्रश्नावली</u>**:–इस प्रपत्र के आधार पर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सभी परिवारों से साक्षात्कार करने का प्रयास किया गया था। इसके माध्यम से प्रभावित परिवारों की जनाकिकीय, सामाजिकत तथा आर्थिक स्थिति को गहनता से समझने का प्रयास किया गया।

3. **<u>व्यक्तिगत साक्षात्कार</u>**:–इसमें आकस्मिक (रैन्डम) आधार पर चयनित सदस्यों से उन विषयों एवं बिन्दुओं पर मौखिक रूप से साक्षात्कार किया गया जो प्रश्नावलियों में उपलब्ध नही थे।

4. **<u>सामूहिक विचार विमर्श</u>**:–इस प्रकार के विचार विमर्श हेतु कुछ निर्देशक बिंदुओं की सहायता ली गयी थी जो अन्वेशकों की कुशलता पर अधिक निर्भर रहता है।

प्रभावित भूस्वामियों/परिवारों का सक्षिप्त परिचयः–उपरोक्त पद्धति के आधार पर भूमि अधिग्रहण तथा एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रभावित परिवारों एवं जनसंख्या का विस्तृत परिचय तैयार किया गया ग्राम स्तर पर तैयार किये गये इस परिचय (प्रोफाइल) में प्रभावित परिवारों एवं जनसंख्या की सामाजिक एवं जनाकिकीय स्थिति, विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवाओं यथा शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, पशु चिकित्सा सेवाओं, पेयजल सुविधाओं, सिंचाई सुविधाओं आदि की उपलब्धता एवं इन सेवाओं को प्राप्त करने हेतु दूरी, विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय संस्थाओं की उपलब्धता एवं दूरी, उपलब्ध भूमि एवं उसका उपयोग, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं की उपलब्धता, लघु/कुटीर उद्योगों की उपलब्धता एवं ग्राम में व्याप्त कुरीतियों आदि को साम्मलित किया गया है।

परिवार स्तर पर भू–जोत आकार, भूमि का उपयोग, फसल चक्र, कर्मकरों, खाद्य सुरक्षा, आय का स्तर, शैक्षित स्तर, ऋणग्रस्तता, पलायन एवं भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति आादि विभिन्न पक्षों को समिल्लित किया गया है।

समाजिक प्रतिघात :

प्राथमिक आंकड़ो के आधार पर परियोजना के संचालन एवं एक्सप्रेसवे के निर्माण के विभिन्न चरणों एवं समग्र रुप में पड़ने वाले प्रभावो का आकलन किया गया हैं जो निम्नलिखित हैं।

1. उपजाऊ भूमि का नुकसान/क्षति।
2. सामुदायिक संसाधनों की क्षति।
3. व्यक्तिगत संसाघनों की क्षति।
4. जीविकोपार्जन के साधनों की क्षति।
5. आय के स्त्रोतो की क्षति।
6. सुरक्षा का भय।
7. व्यवसायिक ढांचे में परिवर्तन।
8. संगठित रुप से जुड़े सामाजिक स्थिति एवं परिवेश की क्षति।
9. बाजार एवं अन्य स्थानों में आसान आवागमन।
10. व्यापार के अवसरो में वृद्धि।
11. भूमि के मूल्य में वृद्धि।
12. पलायन में वृद्धि।

उपरोक्त के अतिरिक्त एक्सप्रेसवे की निर्माण अवधि के विभिन्न चरणो में किये जाने वाले कार्यो का भी विशिष्ट प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहेगी, जो निम्न प्रकार के होगे।

1. **निर्माण के विभिन्न चरण के दौरान प्रभाव :**

धूल एवं धूआ व्यर्थ गैस का उत्सर्जन, तेज ध्वनि एवं वाइब्रेशन भूक्षरण में वृद्धि, सामाजिक गतिविधियों में व्यवधान, ट्रेफिक में वृद्धि, अस्थायी रोजगार के अवसरो में वृद्धि तथा व्यापार के अवसरों में वृद्धि।

2. **परिचालन के चरण में प्रभाव**:–ट्रैफिक एवं यातायात में वृद्धि, स्थानीय निवासियों को दैनिक असुविधा, बारिश के पानी का बहाव, राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि, धूल में कमी, समग्र विकास की प्रकिया में सुधार।

सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना:–स्थलीय अवलोकन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर तैयार किये गये सामाजिक प्रतिघात प्रबन्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। साथ ही कार्यो के निष्पादन हेतु भूमिका तथा उत्तरदायित्व तय करते हुए निरन्तर अनुश्रवण किया जाना चाहिए। योजना का कार्यान्वयन पूर्ण मनोयोग से किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

इस योजना का मुख्य एवं केन्द्रीय उद्देश्य यह सुझाना है की जहाँ तक सम्भव हो परियोजना के अन्तर्गत की जा रही क्रियाओं से सामाजिक समाघात से बचा जाना चाहिए। जहाँ बचा जाना सम्भव न हों वहाँ प्रभाव की अवधि, सघनता एवं प्रसार को कम से कम किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिन प्रभावों से न तो बचा जा सकता है अथवा कम नही किया जा सकता है या पूर्व की स्थिति में नही लाया जा सकता है उन प्रभावों की अवधि एवं सघनता को कम से कम किये जाने का प्रयास होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, जीवकोपार्जन, जीवन शैली आदि।

सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना के मुख्य अंश:–

1. भूमि का अधिग्रहण तकनीकी साध्यता प्रतिवेदन (Technical feasibility report) के अनुसार किया जाना चाहिए।
2. अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची स्पष्ट में बनाते हुये इसे प्रभावित भूस्वामियों को सूचित किया जाना चाहिए।

3. परिसम्पत्ति/भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए उस परिसम्पत्ति के महत्व एवं मूल्य के आधार पर स्पष्ट ढांचा विकसित किया जाना चाहिए न की केवल प्रभाव का प्रतिकर।

4. निर्माण कार्य से पूर्व पुनर्वास के उपायों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

5. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिकर के भुगतान में किसी बिचौलियें की भूमिका न हो, इसका कठोर रूप में अनुपालन किया जाना चाहिए।

6. भूमि के अतिरिक्त अन्य परिसम्पत्तियों के मूल्य का निर्धारण सम्बंधित विभागों से कराया जाना चाहिए तथा उसी के अनुरूप प्रतिकर का भुगतान किया जाना चाहिए।

7. परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जाना चाहिए।

8. प्रभावित परिवारो के इच्छुक सदस्यों को रोजगार हेतु कुशलता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

9. विभिन्न हितधारक आपस में परामर्श कर सके ऐसी रणनीति एवं वातावरण विकसित की जानी चाहिए।

10. भूमि के पुनर्मूल्यन हेतु ग्रामीणो, कार्यान्वयन संस्था तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को आपस में परामर्श किया जाना चाहिए। जिससे सभी प्रभावित भूस्वामियों को उचित प्रतिकर का भुगतान हो सके।

11. सामुदायिक हितधारकों को परियोजना को समझने एवं उसे स्वीकार करने के निमित्त जागरुक किया जाना चाहिए।

12. स्थानीय समुदायों के सदस्यो तथा परियोजना के कार्यकर्ताओं में संघर्ष की स्थिति से निपटने हेतु एक शिकायती व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

13. ठेकेदारों द्वारा अपने कर्मचारीयों के लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए जिसे कोठरता से लागू किया जाना चाहिए।

अध्याय–2

सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना

प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना, सामाजिक समाघात प्रबन्ध के आकार प्रकार को वर्णित करता है।

इसे इस प्रतिवेदन में पूर्व प्रस्तरो में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण के क्रम में पढ़ा जाना चाहिए जो भूमि अजीविका एवं निर्माण क्रियाओ से सम्बन्धित प्रभाव का प्रकृति एवं परिणाम को अभिज्ञात करता है।

कार्यान्वयन संस्था एवं प्रभावित जनसंख्या से परामर्श के उपरांत विभिन्न कार्यो को समयानुसार सम्पन्न करने हेतु दायित्वो को और स्पष्ट किया जाएगा। साथ ही कार्यान्वयन प्रकिया का निंरतर अनुश्रवण भी किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रबन्ध योजना सुझाव को पूर्ण रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रस्तुत सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना को निम्नलिखित मुख्य मूल्यों एवं सिद्धान्तो के आधार पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

1. परियोजना का परिचालन सभी लागू विधानो नीतियों, नुकसान को कम से कम करने हेतु किये गये उपायों जैसे उचित प्रतिकर अथवा आजीविका के स्रोतो तथा संसाधन राष्ट्रीय एवं राज्य के विधानों के अनुपालन मे किया जाना चाहिए।

2. जहाँ तक सम्भव हो परियोजना का परिचालन सामाजिक प्रभाव नही होने देने के स्रोतो के सृजन का प्रयास किया जाना चाहिए। जहाँ सम्भव न हो तो सामाजिक प्रभाव /प्रतिघात की अवधि, सघनता एवं प्रभाव के प्रसार को कम से कम किया जाना चाहिए साथ ही ऐसे प्रभाव जिनको पूर्ण रूप से कम नही किया जा सकता है। उसको पूर्व की स्थिति में लाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए कृषि भूमि आजीविका के स्रोत, व्यक्तियों की जीवनशैली की गुणवत्ता आदि)।

3. परियोजना की प्राथमिकता उपयुक्त निर्माण पद्धति अनुसूची एवं अन्य नुकसान कम से कम करने के उपायो का उपयुक्त निर्धारण करते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों का कल्याण एवं जीविकोपार्जन से सम्बधित होनी चाहिए।

4. एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं परिचालन से प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक समाघात में सम्बंधित हो सकता है अथवा प्राकृतिक पर्यावरण एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में परियोजना के कार्यकलापो के सम्पादन आदि सभी कारणों का समाघात सम्भव है। इस प्रकार के सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात के आंकलन करते हुए सही रूप में एवं पारदर्शी रूप से कम करने/शमन के उपायों को अपनाना चाहिए।

5. परियोजना में दुर्बल/कमजोर व्यक्तियों एवं परिवारों, जैसे ऐसे भूमिहीन जो अपने जीविकोपार्जन हेतु कृषि मजदूरी पर निर्भर है पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं। ऐसे व्यक्ति एवं परिवार नई परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने परामर्श एवं विचार विमर्श में भाग लेने में असमर्थ रहते है। साथ ही आजीविका के नये साधनों एवं परियोजना के अन्तर्गत काम के अवसरों के सम्बंध में भी अनभिज्ञ रहते है।

6. परियोजना मे उन सभी व्यक्तियों, समूहो एवं समुदायो का विधि संगत अधिकारों एवं रूचि का ध्यान रखा जाना है जो परियोजना से प्रभावित है इस प्रकार इसमे उन सभी को सम्मिलित किया जाना है। जिनकी भूमि फसल एवं अन्य परिसंम्पत्तियों एक्सप्रेसवे के रेखांकन में अवस्थित है तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके सुख साधन, जीवन स्तर एवं अन्य सुरक्षा आदि प्रभावित हुई है।

7. परियोजना में व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को परियोजना के हितधारकों के रूप में अपनी तर्कसंगत, रूचियों एंव परियोजना से सम्बधित विषयों में अपने विचार रखने का अधिकार होगा।

क्र0. सं0	प्रभाव / समाघात	समाघात की स्थिति	निवारण हेतु उपाय
1.	उपजाऊ भूमि का नुकसान	उच्च गंभीर एवं दीर्घकालीन	1. भूमि का अधिग्रहण तकनीकी व्यवहारिकता प्रतिवेदन के आधार पर किया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो कि एक्सप्रेसवे के लिए भूमि का अधिग्रहण अन्तिम विकल्प है और प्रस्तावित भूमि तकनीकी रूप से सर्वोत्तम है। 2. भूमि के मुआवजे के लिए अधिकृत एवं पात्र व्यक्तियों को (प्रतिकर हेतु पात्रता ,प्रतिकर की धनराशि ,प्रतिकर उपलब्ध कराने की समयावधि, प्रतिकर से सम्बंध आपत्ति करने का तरीका आदि) स्पष्ट रूप में परिभाषित करते हुए प्रभावित भूस्वामियों को अवगत कराया जाना चाहिए। 3. प्रतिकर के लिए एक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए जिसमें केवल प्रभावित संम्पत्ति का प्रतिकर न होकर मूल्य आधारित हों। 4. निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व पुनर्वास के सभी उपाय पूर्ण किये जाने चाहिए, चूँकि भूमि

			अधिग्रहण योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिये जाने का प्राविधान है। अत्एव प्रभावित भूस्वामियों को प्रतिकर का भुगतान समय से किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 5. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिकर के भुगतान में किसी बिचौलिये की भूमिका न हो। 6. प्रतिकर की राशि के निर्धारण से पूर्व अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि में अस्थित सभी संम्पत्तियों यथा नलकूप/बोरिंग, दुकानें, भवन, पम्पसेट, पेड़ पौधों आदि के मूल्य का निर्धारण सम्बंधित विभागों द्वारा किये जाने एवं उसके प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की परसंम्पत्ति की पूरी सूची तैयार की जानी चाहिए। यदि उपरोक्त संम्पत्तियों उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों की प्रतिकर की धनराशि कम प्रतीत हो रही है तो प्रभावित कृषक को इसे खुले बाजार में बेचने की छूट दी

			जानी चाहिए इस स्थिति में सम्बंधित विभाग (यथा वन विभाग) से अनुमति दिलाने का कार्य भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 7. प्रभावित ग्राम की शत् प्रतिशत कृषि भूमि के अधिग्रहण के बावजूद प्रतिकर के निर्धारण में उस छोटी भूमि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नही है तथापि निर्माण कार्य के कारण बेकार हो गयी है। उदाहरण स्वरूप किसी कृषक की भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा जो कुछ मीटर ही लम्बा अथवा चौड़ा हो सकता है। अधिग्रहण न किये जाने के बावजूद वह उस कृषक के किसी उपयोग का नही रह पायेगा। सामाजिक समाघात अध्ययन में सामने आया है कि इस प्रकार के मुद्दो के प्रति कृषकों में भ्रान्तियां फैली है। अतएव इस सम्बंध में जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की जानेवाली भूमि

			का भौतिक सत्यापन करा के प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिससे कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भूमि की जानकारी हो सकें। 8. 8.मौद्रिक प्रतिकर के अतिरिक्त प्रभावित कृषकों को ग्राम समाज की भूमि में से कुछ भूमि उपलब्ध की जानी चाहिए जिससे वैकल्पिक रोजगार अथवा पशुओं का बाड़ा बनाने आदि में उपयोग किया जा सकें। 9. परियोजनान्तर्गत प्रभावित परिवारों में से एक तिहाई के पास शौचालय उपलब्ध नही है। इनमें से 70 प्रतिशत ग्रामीण शौच हेतु खेतों का उपयोग करते है एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण इनमे व्यवधान आयेगा। अतः जिला प्रशासन द्वारा शौचालयों के निर्माण में प्राथमिकता देने हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय बनाना चाहिए।
2.	जीविकोपार्जन का नुकसान एवं पलायन की सम्भावना	उच्च गम्भीर एवं	1. स्थानीय निवासियों को एक्सप्रेसवे के निर्माण में रोजगार

		अल्पकालीन	को प्राथमिकता दी जाए। 2. प्रभावित परिवारों के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। 3. यदि सम्भव हो तो नयी क्रय की गई भूमि में निःशुल्क बोरिंग एवं बिजली कनेक्शन मे प्राथमिकता एवं छूट दी जाए।
3.	विभिन्न ग्रामों में प्रतिकर की दरों में भिन्नता के कारण परियोजना का विरोध	कम गम्भीर एवं दीर्घकालीन	1. परियोजना के निर्माण की प्रकिया में विभिन्न हितधारकों को सम्मिलित करते हुए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे स्थानीय व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव न पड़े। 2. भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारित करना एक बड़ी चुनौती है। प्रायः ऊँची स्टैम्प शुल्क से बचने के लिए भूमि के वास्तविक मूल्य से कम पर भूमि का क्रय मूल्य दर्शाया जाता है। यह चुनौती और बिगड़ जाती है जब बहुत कम भूमि के हस्तांतरण के कारण बहुत कम रूप में भूमि की रजिस्ट्री उल्लिखित होती है अतः विचार विमर्श के आधार पर अधिक

			स्पष्ट रूप से क्षेत्र की भूमि का मूल्यों का निर्धारण किया जा सकता है। मूल्य पुर्ननिर्धारण की प्रकिया में ग्रामवासियों, कार्यान्वयन संस्था तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य परामर्श एवं विचार विमर्श किया जाना चाहिए। प्रभावित भूमि के बाजार मूल्य को निर्धारित करने में कुछ नये पक्षों यथा भूमि की प्रकृति एवं उपयोग, न्यायालय द्वारा निर्धारित दर तथा निजी क्षेत्र के बिल्डर आदि द्वारा दिये जाने वाली दर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 3. परियोजना के प्रति ग्रामवासियों की असंतुष्टता को दूर अथवा कम करने के सम्बंध में उन्हे जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए इस कार्य में ग्राम प्रधानों/पंचायत अध्यापकों, सेवानिवृत कर्मचारियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। 4. परियोजना में हितधारकों ग्रामीणों की सम्बद्धता एक बार न होकर यह प्रकिया निरंतर चलती रहनी चहिए जिससे

			परियोजना से सम्बंधित सूचनाऐ जैसे निर्माण कार्य रोकने की अवधि का प्रदर्शन तथा निर्माण अवधि मे सतर्कता आदि का प्रदर्शन किया जा सकें। ताकि किसी भी अदृश्य घटनाओं आदि से बचा जा सकें।
4.	निर्माण अवधि कम में कर्मकारों एवं दीर्घकालीन परिचालन अवधि दीर्घकालीन में अस्थानीय एवं बाहरी व्यक्तियों के कारण सामुदायिक मूल्यों एवं जीवन शैली में प्रभाव। परियोजना के निर्माण अवधि में परियोजना कार्यकर्ताओं की उपस्थिति एवं उनके कृत्य सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है इससे स्थानीय समुदाय भी प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से परियोजना में प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त बाहरी कार्यकर्ता एवं ऐसे व्यक्तियों की समूह जो परियोजना स्थल पर रोजगार की तलाश में घूमते रहते है।	कम तीव्रता एवं दीर्घकालीन	1. निर्माण अवधि मे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में स्थानीय निवासियों के लिए शिकायती रजिस्टर/पंजिका अथवा हेल्प लाइन फोन नम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए। 2. सभी प्रकार की शिकायतों का निवारण समय बद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 3. बहुत बडे आकार के संघर्ष/विवाद की स्थिति में ग्रामस्तर पर बैठक करनी चाहिए गाँव में बड़ी संख्या में बाहरी कार्यकर्ताओं के आने के फलस्वरूप लैगिंक घटनाँए एवं शिकायतें आ सकती हैं। 4. ठेकदारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए उनके आचरण के सम्बंध में (कोड ऑफ कन्डक्ट)

	साथ ही ऐसे वेन्डर एवं जो कर्मकारों को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं के विक्रय हेतु पहुँचते है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की सेवाओ यथा नाई, मोची, दर्जी आदि के निरंतर परियोजना स्थल पर चहलकदमी करने से स्थानीय समुदायों के व्यक्तियो में प्रभाव पड़ता है । इसके अतिरिक्त स्थानीय रूप में उपलब्ध सीमित सुविधाओं का परियोजना कार्यकर्ताओ द्वारा उपयोग से भी स्थानीय व्यक्तियो की जीवन शैली पर प्रभाव पडने की सम्भावना।		नियमावली बनानी चाहिए। इस नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए की कर्मचारी–गण स्थानीय निवासियों से किस–किस विषय में किस सीमा तक बातचीत कर सकते हैं।

अध्याय–3

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

1. ग्राम का नाम :– शिवलर

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/ सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ आजीविका का स्रोत ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा ➢ पलायन में वृद्धि	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु सस्ता कर्ज दिया जाये
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–8**	➢ सिंचाई का स्रोत ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निःशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई हेतु पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। ➢ स्त्रोत के अभाव में सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए।
3	**पेड़–पौधे**	➢ अतिरिक्त आय का स्रोत तथा फर्नीचर हेतु लकड़ियों का अभाव ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण की समस्या ➢ फलों के उत्पादन में कमी ➢ ईधन मे कमी	➢ अन्य स्थान पर पौधे/बाग लगाने हेतु फैन्सी तार लगवानें की व्यवस्था की जाये ➢ बागों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निःशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए
4	**सिंचाई नाली –5**	➢खेतो की सिंचाई में उचित व्यवस्था की जाये।	➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर के खेतो के लिए अतिरिक्त र्निमाण किया

			जाना चाहिए
5	Ekkbuj Tkekyiqj&1	➢खेतो की सिंचाई में व्यवधान। ➢एक्सप्रेसवे से दूसरी ओर के खेतों के लिए अतिरिक्त स्रोतों का निर्माण।	➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर के खेतो के लिए अतिरिक्त निर्माण किया जाना चाहिए।
6	**चकरोड–2**	➢ आवागमन में बाधा ➢ खेतों के लिए निर्माण कार्य	➢ निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के सामने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने खेतों पर समय से पहुँच सके और दुर्घटना से भी बचाव हो।
7	'ke'kku Hkwfe&1	➢ शवदाह हेतु अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। ➢ अन्य भूमि पर ग्राम निवासी शवदाह हेतु विरोध कर सकते है।	➢ शवदाह हेतु अन्य बंजर भूमि आवंटित किया जाए।
8	i'kqpj&1	➢ पशुओं के लिए चारागाह एवं भूमि का नुकसान। ➢ पशुचर भूमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जायेंगी।	➢ पशुओ के लिए चारागाह बनाया जाए।
9	o`{kkjksi.k gsrq ntZ lqjf{kr Hkwfe&1	➢ अतिरिक्त आय का स्रोत तथा फर्नीचर हेतु लकड़ियों का अभाव ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण की समस्या ➢ फलों के उत्पादन में कमी ➢ ईधन मे कमी	➢ अन्य स्थान पर पौधे/बाग लगाने हेतु फैन्सी तार लगवानें की व्यवस्था की जाये ➢ बागों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निःशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए
10	**ऊषर –3**	➢ पशुओं के लिए चारागाह एवं भुमि का नुकसान ➢ ऊषर भूमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटना की समस्या।	➢ बची हुई ऊषर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाय।

11	**बंजर –3**	➢ ग्रामीण हेतु अतिरिक्त भूमि का अभाव। ➢ पशुओं के लिए चारागाह एवं भूमि का नुकसान। ➢ बंजर भूमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जायेंगी ➢ बच्चों के खेलने की समस्या	➢ शेष बची हुई बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाय।
12	**नाला–2**	➢ गाँव से पानी की निकासी की समस्या। ➢ नाले के समाप्त होनें से जल निकासी की समस्या बढ़ जायेगी परिणाम स्वथय जन–धन की हानि।	➢ एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय नाले का निर्माण अवध्य कराया जाना चाहिए
13	**तालाब**	➢ मछली पालन में समस्या । ➢ मछली पालन का कार्य समाप्त हो जाएगा।	➢ नये तालाब की व्यवस्था किया जाए
14	fyad ekxZ&2	➢ आवागमन की समस्या ➢ दूरी ज्यादा बढ़ जायगा	➢ एक्सप्रेस वे द्वारा दिये गये लिंक मार्ग को गाँव के करीब में दिया जाए

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

1. ग्राम का नाम :– शिवलर

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	46 कृषकों की 05.203 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–9**	➢ रामफेर पुत्र सुखलाल ➢ माधुरी पुत्री रंग्गी ➢ अशोक कुमार पुत्र मेवालाल ➢ मूचडू पुत्र पूर्वीदीन ➢ रामधीन पुत्र दीपक ➢ सुरेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल ➢ कमलेश पुत्र कामता ➢ विशेषवर पुत्र महावीर ➢ राजकुमार पुत्र राधे
3	**पेड़–पौधे**	➢ रामफेर पुत्र सुखलाल ➢ माधुरी पुत्री रंग्गी ➢ प्रगति साहू पुत्र महेश साहू
4	**सिंचाई नाली –5**	उस क्षेत्र के कृषक प्रभावित।
5	**माइनर जमालपुर–1**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
6	**चकरोड–2**	उस क्षेत्र के कृषक प्रभावित।
7	**शमशान भूमि–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
8	**पषुचर–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
9	**वृक्षारोपण सुरक्षित भूमि–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
10	**ऊषर –3 एकड़**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
11	**बंजर**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
12	**नाला–2**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
13	**तालाब**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
14	**लिंक मार्ग–2**	आवागमन प्रभावित।
15	**गैर कृषि भूमि–143**	➢ सुनील पुत्र राम कुमार ➢ कल्लू पुत्र कान्ता ➢ प्रगति साहू पुत्र महेश साहू ➢ दिनेश ➢ इत्यादि

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

2. ग्राम का नाम :–मँगहुआ

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ आजीविका का स्रोत ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा ➢ पलायन में वृद्धि	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु सस्ता कर्ज दिया जाये
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट) 12**	➢ उत्पादन में कुप्रभाव ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निःशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई हेतु पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। ➢ स्त्रोत के अभाव में सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए।
3	**पेड़–पौधे**	➢ अतिरिक्त आय का स्रोत तथा फर्नीचर हेतु लकड़ियों का अभाव ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण की समस्या ➢ फलों के उत्पादन में कमी ➢ ईधन मे कमी	➢ अन्य स्थान पर पौधे/बाग लगाने हेतु फैन्सी तार लगवानें की व्यवस्था की जाये ➢ बागों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निःशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए
4	**सिंचाई नाली –14**	➢ खेतो की सिंचाई में उचित व्यवस्था की जाये।	➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर के खेतो के लिए अतिरिक्त र्निमाण किया जाना चाहिए
5	**चकरोड –11**	आवागमन में बाधा खेतों के लिए	➢ निर्माण कार्य के दौरान

		निर्माण कार्य	खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के सामने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने खेतों पर समय से पहुँच सके और दुर्घटना से भी बचाव हो।
6	Ekkbuj cfLr;k&1	➢खेतो की सिंचाई में व्यवधान। ➢एक्सप्रेसवे से दूसरी ओर के खेतों के लिए अतिरिक्त स्रोतों का निर्माण।	➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर के खेतो के लिए अतिरिक्त निर्माण किया जाना चाहिए।
7	'ke'kku Hkwfe&2	➢ शवदाह हेतु अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। ➢ अन्य भूमि पर ग्राम निवासी शवदाह हेतु विरोध कर सकते है।	➢ शवदाह हेतु अन्य बंजर भूमि आवंटित किया जाए।
8	**तालाब–3**	➢ मछली पालन में समस्या । ➢ मछली पालन का कार्य समाप्त हो जाएगा।	➢नये तालाब की व्यवस्था किया जाए
	gkbZVsa'ku ykbu&1	➢ फसल का नुकसान। ➢ फसल की बर्बादी हो सकती है।	➢हाईटेंशन लाइन को बंजर भूमि के ऊपर से ले जाया जाए।
9	**ऊषर –3**	➢ पशुओं के लिए चारागाह एवं भुमि का नुकसान ➢ ऊषर भूमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटना की समस्या।	➢ बची हुई ऊषर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाय।
10	uohu irhZ&1	➢ फसल का नुकसान। ➢ आमदनी में कमी।	➢ग्राम निवासीयो को दूसरी जगह भूमि आवंटित किया जाए।
11	**ऊषर –2**	➢ पशुओं के लिए चारागाह एवं भुमि का नुकसान ➢ ऊषर भूमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटना की समस्या।	➢बची हुई ऊषर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाय।
12	**बंजर –2**	➢ ग्रामीण हेतु अतिरिक्त भूमि का अभाव। ➢ पशुओं के लिए चारागाह एवं भूमि का नुकसान।	➢शेष बची हुई बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाय।

		➢ बंजर भूमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जायेंगी ➢ बच्चों के खेलने की समस्या	
13	jsyos ykbu&1	➢ कृषि योग्य भूमि का नुकसान। ➢ दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी।	➢ रेलवे फाटक पे गेटमैन नियुक्त किया जाय।
14	fyad ekxZ&1	➢ आवागमन की समस्या ➢ दूरी ज्यादा बढ़ जायगा	➢ एक्सप्रेस वे द्वारा दिये गये लिंक मार्ग को गाँव के करीब में दिया जाए
15	[ksy dk eSnku&1	➢ बच्चो के खेलने में समस्या होगी।	➢ नई जगह चिनहित किया जाए खेलने के लिए।
16	Iakpk;r Hkou&1	➢ गाँव में होने वाली घोष्ठी की समस्या। ➢ किसी भी जानकारी का अभाव।	➢ सरकार द्वारा गाँव में पंचायत भवन की व्यवस्था की जाए।
17	gS.MiEi ljdkjh&2	➢ पीने के पानी की समस्या। ➢ पानी के लिए बहुत दुरी तय करना पड़ेगा	➢ सरकारी हैण्डपम्प को गाँव के करीब लगाने की व्यवस्था किया जाए।
18	**नाला पुलिया –1**	➢ गाँव से पानी की निकासी की समस्या। ➢ नाले के समाप्त होनें से जल निकासी की समस्या बढ़ जायेगी परिणाम स्वथय जन–धन की हानि।	➢ एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय नाले का निर्माण भी किया जाना चाहिए।
19	**देव स्थान**	➢ जनता की आस्था एवं भावना पर आघात। ➢ मंदिर अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने से जनता में रोष।	➢ सम्मानित लोगो की देखरेख में मंदिर की मुर्तियाँ स्थानान्तरित किया जाय।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

2. ग्राम का नाम :–मँगहुआ

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	106 कृषकों की 14.307 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट) 12**	➢ जगदेव सिंह पुत्र हरिकरण ➢ अर्जुन प्रसाद पुत्र सुकरू ➢ पुत्तीलाल पुत्र सुकरू ➢ सोहनलाल पत्नि रामगुलाम ➢ राजकुमार द्विवेदी पुत्र राजाराम द्विवेदी ➢ बन्सीलाल रावत ➢ पत्नी राम शंकर अवस्थी ➢ ऋषि गुप्ता पुत्र जागेश्वर गुप्ता
3	**पेड़–पौधे**	➢ राम शंकर अवस्थी ➢ अश्वनी कुमार अवस्थी ➢ जगदेव सिंह ➢ वासुदेव सिंह ➢ अर्जुन प्रसाद ➢ पुत्तीलाल
4	**सिंचाई नाली –14**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
5	**चकरोड –11**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
6	**माइनर बस्तिया–1**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
7	**शमशान भूमि–2**	➢ राम गोपाल पुत्र श्रीराम का परिवार ➢ रमा शंकर शर्मा पुत्र महेदन्त शर्मा का परिवार
8	**तालाब–3**	राजकुमार मछली पालन हेतु पट्टा।
	हाईटेंशन लाइन–1	विधुत आपूर्ति प्रभावित।
9	**ऊषर –3**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
10	**नवीन पर्ती–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
11	**ऊषर –2**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
12	**बंजर –2**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
13	**रेलवे लाइन–1**	आवागमन प्रभावित।
14	**लिंक मार्ग–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
15	**खेल का मैदान–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
16	**पंचायत भवन–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
17	**हैण्डपम्प सरकारी–2**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
18	**नाला पुलिया –1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
19	**देव स्थान**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

3. ग्राम का नाम :– जौखण्डी

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ आजीविका का स्रोत ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा ➢ पलायन में वृद्धि	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु सस्ता कर्ज दिया जाये
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)**	➢ उत्पादन में कुप्रभाव ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निःशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई हेतु पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। ➢ स्त्रोत के अभाव में सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए।
3	**पेड़–पौधे**	➢ अतिरिक्त आय का स्रोत तथा फर्नीचर हेतु लकड़ियों का अभाव ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण की समस्या ➢ फलों के उत्पादन में कमी ➢ ईधन मे कमी	➢ अन्य स्थान पर पौधे/बाग लगाने हेतु फैन्सी तार लगवानें की व्यवस्था की जाये ➢ बागों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निःशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए
4	Pkjkxkg&1	➢ पशुओं के लिए चारागाह एवं भूमि का नुकसान। ➢ पशुचर भूमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जायेंगी।	➢ पशुओ के लिए चारागाह बनाया जाए।

5	**तालाब–1**	➢ मछली पालन में समस्या । ➢ मछली पालन का कार्य समाप्त हो जाएगा।	➢ नये तालाब की व्यवस्था किया जाए
6	**बंजर –1**	➢ ग्रामीण हेतु अतिरिक्त भूमि का अभाव। ➢ पशुओं के लिए चारागाह ➢ बंजर भुमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जायेंगी ➢ बच्चों के खेलने की समस्या	शेष बची हुई बंजर भुमि को कृषि योग्य बनाया जाय।
7	**समाधि–1**	➢ पूर्वजों के अपमान की भावना	➢ दूसरी जगह समाधि बनाया जाए
8	dksBjh iDdh&1	➢ बेरिंग कि सुरक्षा की समस्या होगी। ➢ सिंचाई में समस्या होगी	➢ पक्की बोरिंग के लिए जगह उपलब्ध कराया जाय।
9	dejs iDds&2	➢ निवास स्थान की समस्या। ➢ आवास की समस्या	➢ आवास एवं निर्माण अन्य स्थान भूखण्ड दिया जाए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

3. ग्राम का नाम :– जौखण्डी

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	16 कृषकों की 0.870 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–6**	➢ राजकरन पुत्र हरिप्रसाद ➢ श्यामलाल पुत्र भरोसे प्रसाद ➢ प्रकाश पुत्र प्यारे लाल ➢ काशी प्रसाद ➢ पप्पू ➢ रामशरन
3	**पेड़–पौधे**	➢ राजकरन पुत्र हरिप्रसाद ➢ प्रकाश पुत्र प्यारे लाल ➢ पप्पू ➢ काशी प्रसाद ➢ कलिका प्रसाद
4	**चरागाह–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
5	**तालाब–1**	➢ राम लखन द्वारा मत्स्य पालन किया जा रहा है ➢ सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
6	**बंजर –1**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
7	**समाधि–1**	राजकरन के पिता की समाधि
8	**कोठरी पक्की–1**	पप्पू
9	**कमरे पक्के–2**	राजकरन पुत्र हरिप्रसाद का मकान

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

4. ग्राम का नाम :– चाँद सराय

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ आजीविका का स्रोत ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा ➢ पलायन में वृद्धि	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु सस्ता कर्ज दिया जाये
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट) 21**	➢ उत्पादन में कुप्रभाव ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निःशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई हेतु पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। ➢ स्त्रोत के अभाव में सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए।
3	**पेड़–पौधे/बाग**	➢ अतिरिक्त आय का स्रोत तथा फर्नीचर हेतु लकड़ियों का अभाव ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण की समस्या ➢ फलों के उत्पादन में कमी ➢ ईधन मे कमी	➢ अन्य स्थान पर पौधे/बाग लगाने हेतु फैन्सी तार लगवानें की व्यवस्था की जाये ➢ बागों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निःशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए
4	**आवासीय भवन–7**	➢ निवास स्थान की समस्या। ➢ आवास की समस्या।	➢ आवास एवं निर्माण अन्य स्थान भूखण्ड दिया जाए।
5	bf.M;k EkkdkZ AA&3	➢ पेयजल स्रोत का ह्यस। ➢ पेयजल निर्माण में व्यय व भूमि की आवश्यकता।	➢ प्रभावित पेयजल स्रोतों को तोड़ने से पूर्व नये स्रोतो का निर्माण किया जाना चाहिए।
6	**चकरोड**	➢ अवागमन बाधित	➢ निर्माण कार्य के दौरान

		➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर जाने में दुर्घटना की समस्या ➢ निर्माण कार्य के समय में आने जाने की समस्या ।	खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के सामने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने खेतों पर समय से पहुँच सके और दुर्घटना से भी बचाव हो।
7	Loty /kkj Vadh	➢ पेय जल स्रोत का ह्रास । ➢ पेयजल निर्माणं में व्यय व भुमि की आवश्यकता।	➢ प्रभावित पेयजल स्रोतों को तोड़ने से पूर्व नये स्रोतो का निर्माण किया जाना चाहिए
8	**सिंचाई नाली–1**	➢ खेतो की सिंचाई में उचित व्यवस्था की जाये।	➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर के खेतो के लिए अतिरिक्त र्निमाण किया जाना चाहिए
9	**उषर**	➢ पशुओं के लिए चारागाह एवं भुमि का नुकसान ➢ ऊषर भुमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटना की समस्या।	बची हुई ऊषर भुमि को कृषि योग्य बनाया जाय
10	eqxhZ QkeZ&2	➢ बेरोजगारी की समस्या। ➢ मुर्गी बाड़े का नुकसान	➢ मुर्गी फार्म के लिए अन्य भूमि एवं अनुदान राशि दिया जाय।
11	nqdku&26	➢ बेरोजगारी का बढना ➢ ग्रामवासीयों को दैनिक उपयोग की वस्तुओ को क्रय करने में समस्या होगी।	➢ गाँव के समीप में दुकान के निर्माण हेतु भूमि व वित्तीय सहायता की जाए।
12	**1.कुँआ**	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास एवं शादी विवाह के अवसर पर पूजा की समस्या ➢ पेयजल निर्माणं में व्यय व भुमि की आवश्यकता	➢ प्रभावित कुँओं को तोड़ने से पूर्व नये स्रोतो का निर्माण किया जाना चाहिए
13	QSDVjh lhesaV bZaV	➢ अधिक बेरोजगारी। ➢ कारखाने पर काम करने वाले मजदूरों का पलायन।	➢ कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन के अनुसार भुगताान व एक्सप्रेसवे में रोजगार दिया जाय।
14	vkcknh Hkwfe	➢ निवास स्थान की समस्या ➢ आवास की समस्या	➢ आवास एवं निर्माण अन्य स्थान भूखण्ड दिया जाए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तियांवार प्रभावित कृषकों के नाम

4.ग्राम का नाम :– चाँद सराय

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	34 कृषकों की 10.612 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट) 21**	➢ महमूद खान पुत्र स्व0 अय्यूब खान (बिजली) ➢ महफूज खान पुत्र अय्यूब खान (बिजली) ➢ मक्सूद खान पुत्र अय्यूब खान (बिजली) ➢ स्वजलधार सरकारी बिजली ➢ समसुल निशात पुत्र नसीम खान ➢ दिलाशा राम वर्मा पुत्र घूरू ➢ सलीम खान पुत्र नसीम खान ➢ अशुल जायसवाल पुत्र राकेश जायसवाल एवं अन्य
3	**पेड़–पौधे/बाग**	➢ गनेश प्रसाद पुत्र राम नरेश ➢ हसराज पुत्र दुध्धन ➢ रानी पुत्र दुध्धन ➢ विजय कुमार पुत्र गोपी ➢ राम नाथ पुत्र गोपी ➢ राम किशन पुत्र सीताराम ➢ कधाईलाल पुत्र सीताराम ➢ राधेलाल पुत्र सीताराम ➢ नन्नकाऊ पुत्र सीताराम ➢ महमूद खान पुत्र अय्यूब खान ➢ महफूज खान पुत्र अय्यूब खान (बिजली) ➢ मक्सूद खान पुत्र अय्यूब खान ➢ कमरून निशा पत्नी अय्यूब खान ➢ शमसुन निशा पत्नी नसीम खान ➢ छूटकाउ खान पुत्र गुलाम खान ➢ यासमीन खान पत्नी यासमीन खान पत्नी ➢ छन्नु खान पुत्र गुलाब खान ➢ सगीर खान पुत्र नन्नकाऊ ➢ यूसूफ खान पुत्र यूनुस खान ➢ नियाज खान पुत्र यूनुस खान ➢ नसीफ खान पुत्र अनवर खान ➢ रहीम खान पुत्र अनवर खान

		➢ फरीद खान पुत्र अनवर खान ➢ रहमतु निशा खान पत्नी अनवर खान ➢ समीर खान पुत्र नसीम खान ➢ सलीम खान पुत्र नसीम खान ➢ दिलावर खान पुत्र नसीम खान
4	**आवासीय भवन–7**	➢ छुटकाऊ खान पुत्र गुलाम हजरत ➢ रहीम पुत्र अनवर खान ➢ शमीम पुत्र अजीम खान ➢ वसीम खान पुत्र अजीम खान ➢ सलीम पुत्र मशूर खान ➢ फुरकान पुत्र सब्बीर ➢ रामाकान्त पुत्र वासुदेव
5	**इण्डिया मार्का ।।–3**	➢ छुटकाऊ खान पुत्र गुलाम हजरत ➢ रहीम पुत्र अनवर खान ➢ शमीम पुत्र अजीम खान ➢ वसीम खान पुत्र अजीम खान ➢ सलीम पुत्र मशूर खान ➢ फुरकान पुत्र सब्बीर ➢ रामाकान्त पुत्र वासुदेव ➢ गाँव के लोग व समस्त राहगीर
6	**चकरोड–2**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
7	**स्वजल धार टंकी**	एक मोहल्ला
8	**सिंचाई नाली–1**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
9	**उषर**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
10	**मुर्गी फार्म–2**	➢ महमूद खान पुत्र अय्यूब खान ➢ महफूज खान पुत्र अय्यूब खान (बिजली) ➢ मक्सूद खान पुत्र अय्यूब खान
11	**दुकान–26**	➢ महमूद खान पुत्र अय्यूब खान ➢ महफूज खान पुत्र अय्यूब खान ➢ मक्सूद खान पुत्र अय्यूब खान ➢ रईश ➢ शमीम ➢ जमील ➢ छूटकाउ खान पुत्र गुलाम खान एवं अन्य
12	**1.कुँआ**	एक मोहल्ला प्रभावित।
13	**फैक्टरी सीमेंट ईंट**	अंशुल प्रिस
14	**आबादी भूमि**	करन कुमार कोचर पुत्र मुन्नी लाल कोचर

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तिया, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

5. ग्राम का नाम :– महुरा कलां

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	होने वाले नुकसान भविष्य में आने वाली समस्यायें	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ अजीविका का स्रोत। ➢ अनाज का अभाव। ➢ पशु चारे का अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ मंहगा चारा लेना पडेगा।	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए। ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाए। ➢ यदि बचत भूमि कृषि योग्य नही बचती उसका भी निस्तारण किया जाए। ➢ एक्सप्रेसवे में आने वाली भूमि व बचत भूमि की सही माप करके कृषकों को बताया जाए।
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)+बिजली 16**	➢ सिंचाई का स्रोत ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ➢ किसी भी कारण से सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए
3	**पेड़–पौधे/बाग कल्मी**	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पौधे लगाने हेतु तार फैन्सी कराई जाए ➢ पौधों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
4	**चकरोड–6**	➢ आवागमन बाधिंत ➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर जाने में दुर्घटना की समस्या। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने जाने की समस्या ।	➢ निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के समाने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने खेतों पर समय से पहुच सके और दुर्घटना से भी बच सकें ।

5	**ट्रांसफार्मर–1**	विधुत अपूर्ति में व्यवधान।	दूसरे स्थान पर ट्रांसफार्मर लगवाया जाए।
6	**मकान–16**	➢ दूसरे स्थान पर रहना पडेगा। ➢ किराया अधिक देना पडेगा। ➢ धरेलू सामान अव्यवथित होगा। ➢ रहन–सहन प्रभावित होगा ।	➢ भुखण्ड दिया जाए। ➢ आवास का निर्माण कराया जाए। ➢ आवास बनने तक किराये के मकान का किराया दिया जाए। ➢ पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।
7	**दुकानें–4**	➢ जीविकोपार्जन की समस्या। ➢ बैरोजगारी एवं भूखमरी की समस्या।	➢ दुकान हेतु भुखण्ड दिया जाए। ➢ दुकान बनाने हेतु उचित मुआवजा दिया जाए। ➢ सस्ते कर्ज देने की देने की व्यवस्था की जाए। ➢ मर्केट बनाकर दुकान एलाट की जाए। ➢ दुकान नष्ट होने व नयी बनने के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए।
8	**ऊषर–8**	➢ खाली पड़ी भूमि का नुकसान ➢ पशुओं के चरने की समस्या। ➢ बच्चों के खेलने की समस्या।	➢ पशुओं के चरने एवं बच्चों के खेलने की व्यवस्था की जाए।
9	**कुँआ –1**	➢ पेयजल स्रोत ➢ पेयजल की समस्या ➢ सिचाई की समस्या। ➢ पुरानी धारोहर नष्ट की समस्या।	➢ प्रभावित स्रोत को नष्ट करने से पूर्व नये पक्की कुआँ का निर्माण कराया जाए।
10	**चारागाह – 1**	➢ चारागाह ➢ पशुओं को हरा चारा चरने का नुकसान।	➢ चारागाह दूसरे स्थान पर प्रस्तावित किया जाए।
11	**लिंक मार्ग–1**	➢ आवागमन बाधित। ➢ आने जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ सामान लाने मे भाड़ा अधिक लगेगा ।	➢ लिंक मार्ग के ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए ताकि आवागमन बाधित न हों।
12	**नाला –3**	➢ नाला का नुकसान। ➢ संक्रांमक रोगो का फैलाव। ➢ जल भराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे के साथ नाला का भी निर्माण किया जाए।
13	**सिंचाई नाली –7**	➢ नाली का नुकसान ➢ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई होगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

		➢ फसल सूखने की समस्या। ➢ पैदावार घटेगी।	➢ इस बीच होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे बनाने के साथ–साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाए।
14	**माइनर–1**	➢ सिंचाई का नुकसान ➢ सिंचाई न होने से फसल प्रभावित होगी।	➢ माइनर पर पुल बनवा कर ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए।
15	**लोनी नदी–1**	➢ सिंचाई न होने से फसल प्रभावित होगी।	➢ नदी के ऊपर पुल बनवा कर ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए।
16	**हैण्डपम्प सरकारी–1**	➢ पेयजल स्रोत का ह्रास ➢ पीने के पानी का अभाव ➢ नहाने का अभाव ➢ पशुओं के पीने नहाने एवं चारा में मिलाने हेतु पानी का नुकसान। ➢ यादि गाँव में कभी आग लग जाए पूर्णरूप से क्षति होने की सम्भावना	➢ गाँव के अन्य स्थान पर मार्क।। हैण्डपम्प लगवाया जाए। ➢ ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की जाए।
17	**हैण्डपम्प निजी–4**	➢ पीने के पानी का अभाव ➢ नहाने का अभाव ➢ पशुओं के पीने नहाने एवं चारा में मिलाने हेतु पानी का नुकसान	➢ प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की जाए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

5. ग्राम का नाम :— महुरा कलां

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	45 कृषकों की 3.147 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)+बिजली 15**	➢ वली उल्लाह बेग पुत्र नसीर उल्लाह बेग (2) ➢ गरीबे पुत्र दर्शन ➢ जसकरन पुत्र सुखाई (2) ➢ राधेलाल पुत्र रधुनाथ ➢ मुल्हे पुत्र राम आधार ➢ कमलेश पुत्र सुखई ➢ लालता पुत्र घसीटे ➢ हरीपाल पुत्र फत्ते ➢ भूल्लू यादव पुत्र जानकी ➢ सूर्यबक्स पुत्र राम गुलाम ➢ मनीष चन्द्र पुत्र लेखपाल ➢ अमीत कुमार पुत्र लेखपाल ➢ रघुराज पुत्र मोहन लाल ➢ जयप्रकाश पुत्र शम्भू
3	**पेड़—पौधे/आम बाग कल्मी —200 संख्या**	➢ वली उल्लाह बेग पुत्र नसीर उल्लाह बेग ➢ अमान उल्लाह बेग पुत्र वली उल्लाह बेग ➢ हियायत उल्लाह बेग पुत्र वली उल्लाह बेग ➢ जसकरन पुत्र पुत्र सुखाई ➢ कमलेश पुत्र सुखाई ➢ भल्लू यादव पुत्र जानकी ➢ मृत्य जयप्रकाश पुत्र लेखपाल ➢ जवाहीर पुत्र दर्शन ➢ राजेन्द्र कुमार पुत्र राम नरायण ➢ राम लखन पुत्र हेमराज
4	**चकरोड—6**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
5	**ट्रांसफार्मर—1**	➢ वली उल्लाह बेग पुत्र नसीर उल्लाह बेग ➢ अमान उल्लाह बेग पुत्र वली उल्लाह बेग ➢ हियायत उल्लाह बेग पुत्र वली उल्लाह बेग ➢ विधुत आपूर्ति प्रभावित।

6	**मकान–16**	➢ गरीबे पुत्र दर्शन ➢ जवाहीर पुत्र दर्शन ➢ जसकरन पुत्र सुखाई ➢ कमलेश पुत्र सुखाई ➢ विनोद पुत्र रामेश्वर ➢ रामनरेश पुत्र शिवप्रसाद ➢ रामफेर पुत्र लल्लू ➢ ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम ➢ भल्लू यादव पुत्र जानकी ➢ सूर्यबक्स पुत्र राम गुलाम ➢ पुरूषोत्तम पुत्र राम नरायण ➢ राधेलाल पुत्र रघुनाथ ➢ जयप्रकाश पुत्र शम्भू ➢ शिवप्रसाद पुत्र शम्भू ➢ कल्लू पुत्र ➢ राजेन्द्र कुमार पुत्र राम नरायण
7	**दुकानें–4**	➢ जवाहीर पुत्र दर्शन ➢ विनोद पुत्र रामेश्वर ➢ ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम ➢ रामनरेश पुत्र शिवप्रसाद
8	**ऊषर–8**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
9	**कुँआ –1**	➢ मुल्हे पुत्र राम आधार
10	**चारागाह – 1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
11	**लिंक मार्ग–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
12	**नाला –3**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
13	**सिंचाई नाली –4**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
14	**माइनर–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
15	**लोनी नदी–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
16	**इण्डिया मार्का ।।**	➢ गरीबे पुत्र दर्शन का परिवार ➢ समस्त रहागीर
17	**हैण्डपम्प निजी–4**	➢ कमलेश पुत्र सुखई ➢ विनोद पुत्र रामेश्वर ➢ जयप्रकाश पुत्र शम्भू
18	**बेरिंग कोठरी–1**	वली उल्लाह बेग पुत्र नसीर उल्लाह बेग
19	**टपक सिंचाई प्रणाली –1**(Drip Irrigation Underground System)	वली उल्लाह बेग पुत्र नसीर उल्लाह बेग

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

6.ग्राम का नाम :– बेली

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	होने वाले नुकसान भविष्य में आने वाली समस्यायें	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ अजीविका का स्रोत। ➢ अनाज का अभाव। ➢ पशु चारे का अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ मंहगा चारा लेना पडेगा।	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए। ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाए। ➢ यदि बचत भूमि कृषि योग्य नही बचती उसका भी निस्तारण किया जाए। ➢ एक्सप्रेसवे में आने वाली भूमि व बचत भूमि की सही माप करके कृषकों को बताया जाए।
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–1**	➢ सिंचाई का स्रोत ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ➢ किसी भी कारण से सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए
3	**पेड़–पौधे/आम पेड़**	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पौधे लगाने हेतु तार फैन्सी कराई जाए ➢ पौधों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए ।
4	**चकरोड–4**	➢ आवागमन बाधिंत ➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर जाने में दुर्घटना की समस्या।	➢ निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के समाने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने

		➢ निर्माण कार्य के समय में आने जाने की समस्या ।	खेतों पर समय से पहुच सके और दुर्घटना से भी बच सकें ।
5	**डिप्टी डायरेक्टर कर्यालय**	➢ सरकारी धन का नुकसान।	➢ निर्माण कार्य पूर्ण होने तक अन्य सरकारी या किराये के भवन में स्थानन्तारित किया जाए। ➢ भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था की जाए।
6	**दुकाने–4**	➢ जीविकोपार्जन स्रोतों का अभाव ➢ किराये का नुकसान	➢ अलग स्थान पर दुकानें बनवाई जाए।
7	**शमशान भूमि– 1**	➢ शवदाह के लिए बहुत दूर जाना पडेगा। ➢ शवदाह की समस्या।	➢ शवदाह हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाए।
8	**मुर्गी फार्म–1**	➢ मुर्गी बाडे का नुकसान	➢ अन्य स्थान पर मुर्गी बाडा बनवाया जाए।
9	**ऊषर–1**	➢ आबादी भूमि ➢ पशुओं के चरने की समस्या। ➢ बच्चों के खेलने की समस्या।	➢ पशुओं के चरने एवं बच्चों के खेलने की व्यवस्था की जाए।
10	**बंजर–3**	➢ आबादी भूमि ➢ पशुओं के चरने की समस्या। ➢ जलाने एवं ठंड में तापने हेतु लकड़ी की समस्या	➢ पशुओं के चरने हेतु भूमि प्रस्तावित की जाए।
11	**सिंचाई नाली –5**	➢ नाली का नुकसान ➢ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या। ➢ पैदावार घटेगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ इस बीच होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे बनाने के साथ–साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाए।
12	**गैर कृषि भूमि–1**	➢ आवासीय भूमि का नुकसान। ➢ आवास बनाने में समस्या।	➢ 143 सर्किट रेट पर मुआवजा दिया जाए।
13	**कुँआ –1**	➢ पेयजल स्रोत ➢ पेयजल की समस्या ➢ सिचाई की समस्या। ➢ पुरानी धारोहर नष्ट की समस्या।	➢ प्रभावित स्रोत को नष्ट करने से पूर्व नये पक्की कुआँ का निर्माण कराया जाए।

14	**मन्दिर–1**	➢ जनता आस्था एवं भावना पर आघांत ➢ मन्दिर अन्य स्थान शिफ्ट किये जाने से जनता में रोष है। ➢ पूजा–पाठ में व्यवधान आयेगा।	➢ गाँव के सम्मानित लोगो की देख–रेख में मूर्तियाँ सहित्य शिफ्ट किया जाए। ➢ यादि सम्भव हो तो सड़क का रेखांकन बदला जाए।
15	**भवन/ गैर कृषि भूमि–1**	➢ निर्माण का नुकसान ➢ दूसरा बनवाना पडेगा।	➢ उचित मुआवजा दिया जाए।
16	**मार्क–।। हैण्डपम्प**	➢ पेयजल स्रोत का हास ➢ पीने के पानी का अभाव ➢ नहाने का अभाव ➢ पशुओं के पीने नहाने एवं चारा में मिलाने हेतु पानी का नुकसान	➢ अन्य स्थान पर मार्क–2 हैण्डपम्प लगवाया जाए।
17	**लिंक मार्ग–1**	➢ आवागमन बाधित। ➢ आने जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ सामान लाने मे भाड़ा अधिक लगेगा ।	➢ लिंक मार्ग के ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए ताकि आवागमन बाधित न हों।
18	**खा़द के गढ्ढे–4**	➢ खा़द के गढ्ढे/खाद तैयार करने की समस्या ➢ खेतों की उर्वरक क्षमता घटेगी। ➢ पैदावार घटेगी।	➢ दूसरे स्थान पर खा़द्य के गढ्ढे बनवाये जाए।
19	**नाला**	➢ नाला का नुकसान। ➢ संक्रांमक रोगो का फैलाव। ➢ जल भराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे के साथ नाला का भी निर्माण किया जाए।
20	**गोदाम–1 (टिन का) तथा पक्की बाउन्ड्री**	➢ गोदाम का नुकसान ➢ अन्य स्थान पर माल रखना पडेगा। ➢ किराया अधिक देना पडेगा।	➢ उचित मुआवजा दिया जाए। ➢ तोड़ने व बनाने के दौरान गोदाम से होने होने वाली आय का नुकसान भी दिया जाए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

6.ग्राम का नाम :– बेली

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	8 कृषकों की 5.093 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–1**	➢ जगदीश प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद
3	**पेड़–पौधे/कल्मी बाग़**	➢ जगदीश प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद लल्लू एण्ड सन्स
4	**चकरोड–4**	➢ जगदीश प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद ➢ बंजरग पुत्र पुत्र जोधा ➢ राम कुमार पुत्र गोपी ➢ राजपाल पुत्र द्वरिका ➢ हरिचन्द्र पुत्र मैकू ➢ राजेश पुत्र सोत्रोहन
5	**डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय**	शारदा सहायक कमाण्ड
6	**दुकाने–4**	शारदा सहायक कमाण्ड
7	**शमशान भूमि– 1**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
8	**मुर्गी फार्म–1**	शारदा सहायक
9	**ऊषर–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
10	**बंजर–3**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
11	**सिंचाई नाली –5**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
12	**गैर कृषि भूमि–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
13	**कुँआ –1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
14	**मन्दिर–1**	सम्पूर्ण क्षेत्रवासी प्रभावित।
15	**भवन**	लल्लू एण्ड सन्स
16	**इण्डिया मार्क–।।**	लल्लू एण्ड सन्स
17	**लिंक मार्ग–1**	➢ सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित। ➢ क्षेत्र बेली,सठवारा,बरगदहा,समीरपुर।
18	**समाधी–4**	जगदीश प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद के माता पिता और बहू की समाधी।
19	**नाला**	बरसात का सम्पूर्ण पानी प्रभावित।
20	**गोदाम–1 (टिन सेड)**	लल्लू एण्ड सन्स

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

7. ग्राम का नाम :– आदमपुर नौबस्ता

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	होने वाले नुकसान भविष्य में आने वाली समस्यायें	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ अजीविका का स्रोत। ➢ अनाज का अभाव। ➢ पशु चारे का अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ मंहगा चारा लेना पडेगा।	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए। ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाए। ➢ यदि बचत भूमि कृषि योग्य नही बचती उसका भी निस्तारण किया जाए। ➢ एक्सप्रेसवे में आने वाली भूमि व बचत भूमि की सही माप करके कृषकों को बताया जाए।
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–25**	➢ सिंचाई का स्रोत ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ➢ किसी भी कारण से सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए
3	**पेड़–पौधे/आम पेड़**	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पौधे लगाने हेतु तार फैन्सी कराई जाए ➢ पौधों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए ।
4	**बोरिंग कोठरी–पक्की–1**	➢ निर्माण ➢ दुबारा निर्माण करने मे लागत बढ़ जायेगी। ➢ सामान रखने की कठनाईयाँ।	➢ बोरिंग कोठरी मुआवजा दिया जाए।

5	**नगराम जनपद मार्ग – 1**	➢ आने जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ समान लाने मे भाड़ा अधिक लगेगा । ➢आवागमन बाधित	➢ नगराम जनपद मार्ग के ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए ताकि आवगमन बाधिंत न हों।
6	**चकरोड–4**	➢ आवागमन बाधिंत ➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर जाने में दुर्घटना की समस्या। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने जाने की समस्या ।	➢ निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के सामने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने खेतों पर समय से पहुच सके और दुर्घटना से भी बच सकें ।
7	**शमशान भूमि– 1 तथा जनवरो के शवविच्छेदन की भूमि**	➢ शवदांह के लिए बहुत दूर जाना पडेगा। ➢ शवदांह की समस्या।	➢शवदांह हेतु भूमि प्रस्तावित किया जाए।
8	**बिस्कुट बेकरी – 1**	➢कार्यरत श्रमिकों की जीविकोपार्जन की समस्या। ➢बैरोजगारी बढ़ेगी। आय का स्रोत घटेगा।	➢पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।
9	**तालाब**	➢ जल स्रोत ➢ पशुओं का पानी पीना एवं नहाने की समस्या ➢ खाने हेतु मछली पालन की समस्या। ➢ सिंगाडे से होने वाली आय की समस्या। ➢ वाटर लेविल की समस्या। ➢ ग्रामीणों के शौच के लिए पानी की समस्या।	➢ अन्य भूमि पर तालाब प्रस्तावित किया जाए।
10	**लिंक मार्ग–1**	➢ आवागमन बाधित। ➢ आने जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ सामान लाने मे भाड़ा अधिक लगेगा ।	➢लिंक मार्ग के ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए ताकि आवागमन बाधित न हों।
11	**बहरौली रजबहा – 1**	➢नदी का नुकसान ➢संचाई न होने से फसल प्रभावित होगी।	➢नदी के ऊपर पुल बनवा कर ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए।
12	**सिंचाई नाली –4**	➢ नाली का नुकसान ➢ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली निर्माण के दौरान सिंचाई की

		होगी। ➢ फसल सूखने की समस्या। ➢ पैदावार घटेगी।	वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ इस बीच होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे बनाने के साथ–साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाए।
13	**कुँआ पक्का–1**	➢ पेयजल स्रोत ➢ पेयजल की समस्या ➢ सिचाई की समस्या। ➢ पुरानी धारोहर नष्ट की समस्या।	➢ प्रभावित स्रोत को नष्ट करने से पूर्व नये पक्का कुआँ का निर्माण कराया जाए।
14	**आवास**	➢ दूसरे स्थान पर रहना पडेगा। ➢ किराया अधिक देना पडेगा। ➢ धरेलू सामान अव्यवथित होगा। ➢ रहन–सहन प्रभावित होगा ।	➢ भुखण्ड दिया जाए। ➢ आवास का निर्माण कराया जाए। ➢ आवास बनने तक किराया मकान का दिया जाए। ➢ या पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।
	समाधी	➢ पूवजों के अपमान की भावना	➢ पिलर बना कर सुरक्षित किया जाए
15	**देव स्थान**	➢ आस्था एवं भावना पर आघांत ➢ देव स्थान शिफ्ट किये जाने से जनता में रोष।	➢ गँाव सम्मानित लोगो की देख–रेख में अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए।
16	**बाडा खच्चर–1**	➢ बाडा खच्चर का नुकसान ➢ दूसरे स्थान पर बनाना पडेगा। ➢ अन्य स्थान पर शिफ्ट करना पडेगा।	➢ बाड़ा खच्चर बनवाने हेतु उचित मुआवजा दिया जाए।
17	**गोदाम–1**	➢ गोदाम का नुकसान ➢ अन्य स्थान पर माल रखना पडेगा। ➢ किराया अधिक देना पडेगा।	➢ उचित मुआवजा दिया जाए। ➢ तोड़ने व बनाने के दौरान गोदाम से होने होने वाली आय का नुकसान भी दिया जाए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

7.ग्राम का नाम :— आदमपुर नौबस्ता

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	67 कृषकों की 6.118 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–25**	➢ राम मनोहर पुत्र राम सिंह ➢ जगन्नाथ प्रसाद पुत्र माता प्रसाद ➢ राजेन्द्र पुत्र रामपाल ➢ राम नरफत ➢ सोहन लाल ➢ सोलेन्द्र ➢ योगेन्द्र ➢ पन्नालाल पुत्र रामप्रताप ➢ तुलसीदेवीपत्नी स्व0 राम सिह ➢ ओसराम पुत्र बाबादीन ➢ श्याम लाल पुत्र जगत ➢ प्रदीप पुत्र राम प्रसाद ➢ श्यामलाल पुत्र ब्रैजनाथ ➢ बेचालाल पुत्र जला ➢ मंगल पुत्र मुरली ➢ भारत पुत्र बेचालाल ➢ सहजराम पुत्र राम रतन ➢ राम दुलारी पत्नी माता प्रसाद ➢ रत्नेश पुत्र हरीश चन्द्र ➢ शिवपाल पुत्र गया प्रसाद ➢ प्रताप देई पत्नी राम सिह
3	**पेड़–पौधे/आम पेड़**	➢ शिव दयाल पुत्र गया प्रसाद ➢ होसराम पुत्र बाबादीन
4	**बोरिंग कोठरी–पक्की–1**	गया प्रसाद पुत्र काली ग्राम
5	**नगराम जनपद मार्ग – 1**	सम्पूर्ण ग्रम एवं क्षेत्रवासी प्रभावित।
6	**चकरोड–4**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
7	**शमशान भूमि– 1**	बेचालाल पुत्र जला का परिवार प्रभावित।
8	**बिस्कुट बेकरी – 1**	प्रताप सिंह पुत्र सालिग राम
9	**तालाब**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
10	**लिंक मार्ग–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
11	**बहरौली रजबहा – 1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
12	**सिंचाई नाली –4**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।

13	**कुँआ पक्का–1**	रामदत्त पुत्र लालता प्रसाद
14	**आवास**	हनीफ पुत्र सुबराती
	समाधी	बेचालाल पुत्र जला
15	**देव स्थान**	➢ होसराम पुत्र बाबादीन ➢ सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
16	**बाडा खच्चर–1**	शम्मू पुत्र राम अधार
17	**गोदाम–1**	शम्मू पुत्र राम अधार
18	**मुर्गी फार्म**	रामदीन 4 विस्वा में

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

8.ग्राम का नाम :–देहरामऊ

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	होने वाले नुकसान भविष्य में आने वाली समस्यायें	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ अजीविका का स्रोत। ➢ अनाज का अभाव। ➢ पशु चारे का अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ मंहगा चारा लेना पडेगा।	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए। ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाए। ➢ यदि बचत भूमि कृषि योग्य नही बचती उसका भी निस्तारण किया जाए। ➢ एक्सप्रेसवे में आने वाली भूमि व बचत भूमि की सही माप करके कृषकों को बताया जाए।
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–13**	➢ सिंचाई का स्रोत ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ➢ किसी भी कारण से सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए
3	**पेड़–पौधे**	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पौधे लगाने हेतु तार फैन्सी कराई जाए ➢ पौधों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए ।
4	**सिंचाई नाली –2**	➢ नाली का नुकसान ➢ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूख जायेगी ➢ पैदावार घटेगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ इस बीच होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे बनाने के साथ–साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाए।

5	**चकरोड–3**	➢ आवागमन बाधित ➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर जाने में दुर्घटना की समस्या। ➢ निर्माण कार्य के समय में आने जाने की समस्या ।	➢ निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के सामने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने खेतों पर समय से पहुच सके और दुर्घटना से भी बच सकें ।
6	**लिंक मार्ग–1**	➢ आवागमन बाधित ➢ आने जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ समान लाने मे भाड़ा अधिक लगेगा ।	➢ लिंक मार्ग के ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए ताकि आवागमन बाधित न हों।
7	**आबादी भूमि–1**	➢ आबादी भूमि का ह्रास ➢ गाँव के विस्तार में अवरोध हो सकता है। ➢ पशुओं के बाडे/बाँधने आदि की समस्या।	➢ आबादी की भूमि अन्य भूमि पर सुनिश्चित की जाए।
8	**ऊषर–1**	➢ आबादी भूमि ➢ पशुओं के चरने की समस्या। ➢ बच्चों के खेलने की समस्या।	➢ पशुओं के चरने हेतु भूमि प्रस्तावित की जाए।
9	**बंजर–4**	➢ आबादी भूमि ➢ पशुओं के चरने की समस्या। ➢ जलाने एवं ठंड में तापने हेतु लकड़ी की समस्या	➢ पशुओं के चरने हेतु भूमि प्रस्तावित की जाए।
10	**बोरिंग कोठरी–1पक्की**	➢ निर्माण ➢ दुबारा निर्माण करने मे लागत बढ़ जायेगी। ➢ सामान रखने की कठनाईयाँ।	➢ बोरिंग कोठरी मुआवजा दिया जाए।
11	**कुँआ पक्का –1**	➢ पेयजल स्रोत ➢ पेयजल की समस्या ➢ सिचाई की समस्या। ➢ पुरानी धारोहर नष्ट की समस्या।	➢ प्रभावित स्रोत को नष्ट करने से पूर्व नये पक्का कुआँ का निर्माण कराया जाए।
12	**नाला पक्का–1**	➢ नाला का नुकसान। ➢ संक्रांमक रोगो का फैलाव। ➢ जल भराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे के साथ नाला का भी निर्माण किया जाए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

8.ग्राम का नाम :– देहरामऊ

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	46 कृषकों की 8.337 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–13**	➢ बजरंग वर्मा पुत्र रामदास ➢ राम सिंह पुत्र राम नरेश ➢ अवधेश कुमार पुत्र प्यारे लाल ➢ सत्रोहत पुत्र रामलाल ➢ शिवबालक पुत्र राम सागर ➢ पुरवासी पुत्र महाबीर ➢ सुरेश कुमार पुत्र मेवालाल ➢ अजय सिंह पुत्र मनोहर लाल ➢ कपिलदेव पुत्र अजीत सिंह
3	**पेड़–पौधे**	➢ शिवकुमार पुत्र मेवालाल ➢ शिवबालक पुत्र राम सागर ➢ मृत्य सोहनलाल पुत्र रामलाल ➢ बजरंग पुत्र रामदास
4	**सिंचाई नाली –2**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
5	**चकरोड–3**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
6	**लिंक मार्ग–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
7	**आबादी भूमि–1**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
8	**ऊषर–1**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
9	**बंजर–4**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
10	**बोरिंग कोठरी–1पक्की**	➢ राम सिंह पुत्र राम नरेश ➢ अवधेश कुमार पुत्र प्यारे लाल ➢ बजरंग वर्मा पुत्र रामदास ➢ शिवबालक पुत्र राम सागर ➢ अजय सिंह पुत्र मनोहर लाल
11	**कुँआ पक्का –1**	➢ बजरंग वर्मा पुत्र रामदास
12	**नाला पक्का–2**	बरसाती पानी निकास प्रभावित

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

9. ग्राम का नाम :– हसनापुर

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ आजीविका का स्रोत ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा ➢ पलायन में वृद्धि	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु सस्ता कर्ज दिया जाये
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट) 21**	➢ उत्पादन में कुप्रभाव ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निःशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई हेतु पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। ➢ स्त्रोत के अभाव में सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए।
3	**पेड़–पौधे/बाग**	➢ अतिरिक्त आय का स्रोत तथा फर्नीचर हेतु लकड़ियों का अभाव ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण की समस्या ➢ फलों के उत्पादन में कमी ➢ ईधन मे कमी	➢ अन्य स्थान पर पौधे/बाग लगाने हेतु फैन्सी तार लगवानें की व्यवस्था की जाये ➢ बागों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निःशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए
4	**सिंचाई नाली 8 गाटा**	➢ खेतो की सिंचाई में उचित व्यवस्था की जाये।	➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर के खेतो के लिए अतिरिक्त र्निमाण किया जाना चाहिए

5	**चकरोड** **5 गाटा**	आवागमन में बाधा खेतों के लिए निर्माण कार्य	➢ निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के सामने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने खेतों पर समय से पहुँच सके और दुर्घटना से भी बचाव हो।
6	**रास्ता–5**	एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर जाने में दुर्घटना की समस्या निर्माण कार्य के आवागमन बाधिंत	रास्ते के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराई जानी चाहिए
7	**भट्ठा–2** **(गोलइया+चिमनी)** **25 वर्ष**	➢ बेरोजगारी की वृद्वि ➢ गाँव के मजदूरों का पलायन	भट्ठे वाले मजदूरों को प्रतिदिन के अनुसार भुगतान व एक्सप्रेसवे में रोजगार दिया जाना सुनिशिचित किया जाए।
8	**ऊषर–1**	➢ पशुओं के लिए चारागाह एवं भुमि का नुकसान ➢ ऊषर भुमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटना की समस्या।	बची हुई ऊषर भुमि को कृषि योग्य बनाया जाय
9	**बंजर –3**	➢ ग्रामीण हेतु अतिरिक्त भूमि का अभाव। ➢ पशुओं के लिए चारागाह ➢ बंजर भुमि के मध्य से एक्सप्रेसवे के गुजरने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जायेंगी ➢ बच्चों के खेलने की समस्या	शेष बची हुई बंजर भुमि को कृषि योग्य बनाया जाय।
10	**नवीन पर्ती –3**	➢ फसल का नुकसान	ग्रामीणों को दूसरी जगह भूमि निवासीयो को दूसरी जगह भूमी आवंटित किया जाए।
11	**लोनी नाला–1**	➢ गाँव से पानी की निकासी की समस्या। ➢ नाले के समाप्त होनें से जल निकासी की समस्या बढ़ जायेगी परिणाम स्वथय जन–धन की हानि।	एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय नाले का निर्माण अवध्य कराया जाना चाहिए

12	**देव स्थान–1**	➢ जनता की आस्था एवं भावना पर आघात ➢ मांदिर अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने से ग्रामीण आक्रोश की भावना ।	सम्मानित लोगो की देखरेख में मंदिर की मुर्तियाँ स्थानान्तरित किया जाय एवं मंदिर की निर्माण आधुनिक तकनीकी एवं भूकम्प रोधी बनाये जायें।
13	**समाधि** **1 पक्की**	पूर्वजों के अपमान की भावना	दूसरी जगह समाधि बनाया जाए
14	**1.कुँआ**	➢ पेयजल स्रोत का ह्यस एवं शादी विवाह के अवसर पर पूजा की समस्या ➢ पेयजल निर्माणं में व्यय व भुमि की आवश्यकता	प्रभावित कुँओं को तोड़ने से पूर्व नये स्रोतो का निर्माण किया जाना चाहिए

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

9.ग्राम का नाम :— हसनापुर

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	52 कृषकों की 5.807 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट) 20**	➢ कृष्णकुमार पुत्र मैकूलाल (2) ➢ शान बाबू पुत्र राम आसरे (2) ➢ दीपक कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार आदि (2) ➢ राम किशोर पुत्र बाबू राम ➢ सुरेश कुमार पुत्र छेदालाल आदि ➢ सत्य प्रकाश पुत्र मिश्री लाल ➢ मृत्य सरबजीत पुत्र सत्तू आदि (2) ➢ मृत्य सुरेश सिंह पुत्र रामनिधि ➢ गौरी शंकर पुत्र राधा प्रसाद ➢ श्याम बाबू पुत्र राम आसरे ➢ अशोक कुमार पुत्र माखनलाल आदि ➢ राम किशुन पुत्र रामेश्वर आदि ➢ हरिश्चन्द पुत्र द्वरिका आदि ➢ राम कुमार पुत्र बाबू आदि ➢ जनाका पत्ती शंकर ➢ जय प्रकाश पुत्र रामदेव
3	**पेड़—पौधे**	➢ कृष्णकुमार पुत्र मैकूलाल ➢ राम किशोर पुत्र बाबू राम ➢ शान बाबू पुत्र राम आसरे ➢ दीपक कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार आदि ➢ मृत्य सरबजीत पुत्र सत्तू आदि
4	**सिंचाई नाली 8**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
5	**चकरोड 5**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
6	**रास्ता—5**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
7	**भट्ठा—2 (गोलइया+चिमनी)**	➢ दीपक चन्द्र वर्मा ➢ लक्ष्मीकान्त पाण्डे
8	**ऊषर 1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
9	**बंजर —3**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
10	**नवीन पर्ती —3**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
11	**लोनी नाला—1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
12	**देव स्थान—1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
13	**समाधि— 1 पक्की**	बाबू राम यादव की समाधि।
14	**1.कुँआ—2**	➢ दिनेश कुमार पुत्र राजाराम आदि ➢ श्याम बाबू पुत्र राम आसरे

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

10.ग्राम का नाम :– पहासा

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	होने वाले नुकसान भविष्य में आने वाली समस्यायें	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ अजीविका का स्रोत। ➢ अनाज का अभाव। ➢ पशु चारे का अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ मंहगा चारा लेना पडेगा।	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए। ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाए। ➢ यदि बचत भूमि कृषि योग्य नही बचती उसका भी निस्तारण किया जाए। ➢ एक्सप्रेसवे में आने वाली भूमि व बचत भूमि की सही माप करके कृषकों को बताया जाए।
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–13**	➢ सिंचाई का स्रोत ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ➢ किसी भी कारण से सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए
3	**पेड़–पौधे/आम पेड़**	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पौधे लगाने हेतु तार फैन्सी कराई जाए ➢ पौधों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए ।
4	**चकरोड–4**	➢ आवागमन बाधिंत ➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर जाने में दुर्घटना की समस्या।	➢ निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के समाने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने

		➢ निर्माण कार्य के समय में आने जाने की समस्या ।	खेतों पर समय से पहुच सके और दुर्घटना से भी बच सकें ।
5	**खलिहान–1**	➢ फसलों को रखने व सफाई आादि का नुकसान ➢ खलिहान दूर बनाना पडेगा। ➢ समय अधिक लगेगा।	➢ अन्य भूमि पर खलिहान प्रस्तावित किया जाए।
6	**आबादी भूमि–1**	➢ आबादी भूमि ➢ मकान बनाने की समस्या	➢ आबादी भूमि प्रस्तावित की जाए।
7	**बंजर–4**	➢ आबादी भूमि ➢ पशुओं के चरने की समस्या। ➢ जलाने एवं ठंड में तापने हेतु लकड़ी की समस्या	➢ पशुओं के चरने हेतु भूमि प्रस्तावित की जाए।
8	**नाला –2**	➢ नाला का नुकसान। ➢ संक्रांमक रोगो का फैलाव। ➢ जल भराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे के साथ नाला का भी निर्माण किया जाए।
9	**लिंक मार्ग–1**	➢ आवागमन बाधित ➢ आने जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ समान लाने मे भाड़ा अधिक लगेगा ।	लिंक मार्ग के ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए ताकि आवागमन बाधित न हों।
10	**सिंचाई नाली –2**	➢ नाली का नुकसान ➢ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूख जायेगी ➢ पैदावार घटेगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ इस बीच होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे बनाने के साथ–साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाए।
11	**रास्ता खण्ड़ंजा–2**	➢ आवागमन बाधित ➢ आने जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ समान लाने मे भाड़ा अधिक लगेगा ।	➢ रास्ते के ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए ताकि आवागमन बाधित न हों सकें।

12	**चारागाह – 1**	➢ चारागाह ➢ पशुओं को हरा चारा चरने का नुकसान।	➢ चारागाह दूसरे स्थान पर प्रस्तावित किया जाए।
13	**कुँआ –1**	➢ पेयजल स्रोत ➢ पेयजल की समस्या ➢ सिचाई की समस्या। ➢ पुरानी धारोहर नष्ट की समस्या।	➢ प्रभावित स्रोत को नष्ट करने से पूर्व नये पक्का कुआँ का निर्माण कराया जाए।
14	**पुलिया–2**	➢ आवागमन बाधित ➢ आने जाने में समय अधिक लगेगा। ➢ समान लाने मे भाड़ा अधिक लगेगा । ➢ दुर्घटना का भय बना रहेगा।	➢ पुलिया के ऊपर से एक्सप्रेसवे बनाया जाए ताकि आवागमन बाधित न हों सकें।
15	**बोरिंग कोठरी–1 पक्की–1**	➢ निर्माण ➢ दुबारा निर्माण करने मे लागत बढ़ जायेगी। ➢ सामान रखने की कठनाईयाँ।	➢ बोरिंग कोठरी मुआवजा दिया जाए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम
10.ग्राम का नाम :– पहासा

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	84 कृषकों की 11.091 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–13**	➢ गोमती प्रसाद पुत्र रामफली ➢ विजय कुमार सिंह पुत्र राम नरायण सिंह ➢ अरूण कुमार पुत्र राम रतन ➢ नमीलाल पुत्र मुन्नी लाल ➢ देवता दीन पुत्र मेवा लाल ➢ सूरज लाल पुत्र मोहन एवं अन्य
3	**पेड़–पौधे/आम पेड़**	➢ अंजनी कुमार पुत्र जुगल किशोर ➢ राज कुमार पुत्र जुगल किशोर ➢ लाल कुमार पुत्र जुगल किशोर ➢ रविन्द्र कुमार पुत्र जुगल किशोर
4	**चकरोड–4**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
5	**खलिहान–1**	➢ पहासा से पाण्डेपुरवाँ ➢ पहासा से बिचौलियाँ ➢ पहासा से अन्य खेतों तक जाने के लिए।
6	**आबादी भूमि–1**	पहासा से आस–पास के गाँव जाने के लिए।
7	**बंजर–4**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
8	**नाला –2**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
9	**लिंक मार्ग–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
10	**सिंचाई नाली –2**	नमीलाल पुत्र मुन्नी लाल
11	**रास्ता खण्ड़ंजा–2**	पहले ईश्वरदीन का था अब वो खेत बेच दिया।
12	**चारागाह – 1**	गाँव के पानी का निकासन बरसाती नाला
13	**कुँआ –1**	➢ गोमती प्रसाद पुत्र रामफली ➢ विजय कुमार सिंह पुत्र राम नरायण सिंह ➢ अरूण कुमार पुत्र राम रतन ➢ नमीलाल पुत्र मुन्नी लाल ➢ देवता दीन पुत्र मेवा लाल ➢ सूरज लाल पुत्र मोहन एवं अन्य
14	**पुलिया–2**	➢ अंजनी कुमार पुत्र जुगल किशोर ➢ राज कुमार पुत्र जुगल किशोर ➢ लाल कुमार पुत्र जुगल किशोर ➢ रविन्द्र कुमार पुत्र जुगल किशोर
15	**बोरिंग कोठरी–1 पक्की–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां,सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

11. ग्राम का नाम – रसूलपुर आशिक अली

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	सम्भावित समस्यायें/नुकसान	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ आजीविका का स्रोत ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा ➢ पलायन में वृद्धि	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु सस्ता कर्ज दिया जाये
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–7**	➢ उत्पादन में कुप्रभाव ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निःशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई हेतु पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। ➢ स्त्रोत के अभाव में सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए।
3	**पेड़–पौधे**	➢ अतिरिक्त आय का स्रोत तथा फर्नीचर हेतु लकड़ियों का अभाव ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण की समस्या ➢ फलों के उत्पादन में कमी ➢ ईधन मे कमी	➢ अन्य स्थान पर पौधे/बाग लगाने हेतु फैन्सी तार लगवानें की व्यवस्था की जाये ➢ बागों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निःशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए
4	**सिंचाई नाली–4**	➢ खेतो की सिंचाई में उचित व्यवस्था की जाये।	➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर के खेतो के लिए अतिरिक्त र्निमाण किया जाना चाहिए

5	**चकरोड–3**	➢ आवागमन में बाधा खेतों के लिए निर्माण कार्य	➢ निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के सामने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने खेतों पर समय से पहुँच सके और दुर्घटना से भी बचाव हो।
6	**नाला**	➢ गाँव से पानी की निकासी की समस्या। ➢ नाले के समाप्त होनें से जल निकासी की समस्या बढ़ जायेगी परिणाम स्वथय जन–धन की हानि।	एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय नाले का निर्माण अवध्य कराया जाना चाहिए
7	**Ekkbuj jlwyiqj vyfr;k &1**	➢ खेतो की सिंचाई का व्यवधान। ➢ एक्सप्रेसवे से दूसरी ओर के खेतों के लिए अतिरिक्त स्रोतों का र्निमाण	➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर के खेतो के लिए अतिरिक्त र्निमाण किया जाना चाहिए
8	**समाधि–1**	➢ पूर्वजों के अपमान की भावना	➢ दूसरी जगह समाधि बनाया जाए
9	**Ckksfjax iDdh dksBjh &1**	➢ बेरिंग कि सुरक्षा की समस्या होगी। ➢ सिंचाई में समस्या होगी	➢ पक्की बोरिंग के लिए जगह उपलब्ध कराया जाय।
10	**तालाब–1**	➢ मछली पालन में समस्या । ➢ मछली पालन का कार्य समाप्त हो जाएगा।	➢ नये तालाब की व्यवस्था किया जाए

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

11.ग्राम का नाम – रसूलपुर आशिक अली

क्रम संख्य	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	18 कृषकों की 4.421 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–7**	➢ हरिचन्द पुत्र दरबारी लाल ➢ बाबादीन पुत्र रामऔतार ➢ सुखलाल पुत्र दौलत ➢ सोभालाल पुत्र भगीरथ ➢ सियाराम पुत्र ➢ रामाकान्त पुत्र
3	**पेड़–पौधे**	➢ हरिचन्द्र–प्रेमचन्द
4	**सिंचाई नाली–4**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
5	**चकरोड–3**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
6	**नाला–2**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
7	**माइनर रसूलपुर अलतिया –1**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
8	**समाधि–1**	सोभालाल पुत्र भगीरथ के परिवार की
9	**बोरिंग पक्की कोठरी –1**	सोभालाल पुत्र भगीरथ
10	**तालाब–1**	➢ सरकारी ➢ प्राईवेट

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

ग्रामवार अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां, सम्भावित समस्यायें/नुकसान एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

12.ग्राम का नाम :– शाहजादेपुर

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	होने वाले नुकसान भविष्य में आने वाली समस्यायें	इन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय/सुझाव
1	**कृषि योग्य भूमि**	➢ अजीविका का स्रोत। ➢ अनाज का अभाव। ➢ पशु चारे का अभाव। ➢ कृषि मजदूरी का अभाव। ➢ खाद्यान्न उत्पादन में कमी। ➢ मंहगा अनाज लेना पड़ेगा। ➢ पलायन में वृद्धि। ➢ मंहगा चारा लेना पडेगा।	➢ बाजार भाव से भूमि का मुआवजा दिया जाए। ➢ ऊषर एवं बंजर भूमि का सुधार किया जाए। ➢ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जाए। ➢ यदि बचत भूमि कृषि योग्य नही बचती उसका भी निस्तारण किया जाए। ➢ एक्सप्रेसवे में आने वाली भूमि व बचत भूमि की सही माप करके कृषकों को बताया जाए।
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–8**	➢ सिंचाई का स्रोत ➢ मंहगा पानी लेना पड़ेगा ➢ समय से पानी नही मिलेगा	➢ निशुल्क बोरिंग कराई जाए। ➢ सुचारू रूप से सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ➢ किसी भी कारण से सिंचाई न हो पाने पर सूख गई फसल का भी मुआवजा दिया जाए
3	**पेड़–पौधे/आम पेड़**	➢ आय का स्रोत ➢ लकडी का अभाव। ➢ रोजगार का अभाव। ➢ हरियाली का नुकसान ➢ छाया का नुकसान ➢ प्रदूषण बढेगा ➢ ईधन/इमारती लकड़ी का नुकसान। ➢ पौष्टिक फलों का नुकसान।	➢ अन्य स्थान पौधे लगाने हेतु तार फैन्सी कराई जाए ➢ पौधों का उचित मुआवजा दिया जाए ➢ निशुल्क पौधे दिये जाए ➢ लगभग 5 से 10 वर्षो में पौधें तैयार होते है इस बीच पौधों व फलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए ।
4	**चकरोड–3**	➢ आवागमन बाधित ➢ एक्सप्रेसवे के दूसरी ओर जाने में दुर्घटना की समस्या।	➢ निर्माण कार्य के दौरान खेतों में आने जाने की व्यवस्था की जाए ➢ चकरोड के सामने से ही क्रास दिया जाए ताकि किसान अपने

		➢ निर्माण कार्य के समय में आने जाने की समस्या ।	खेतों पर समय से पहुच सके और दुर्घटना से भी बच सकें ।
5	**सिचांई नाली –4**	➢ नाली का नुकसान ➢ दूसरे स्रोत से मंहगी सिंचाई होगी। ➢ फसल सूख जायेगी ➢ पैदावार घटेगी।	➢ सिंचाई नाली नष्ट होने व नई नाली निर्माण के दौरान सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ इस बीच होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे बनाने के साथ–साथ सिंचाई नाली का भी निर्माण किया जाए।
6	**माइनर जौखण्डी–1**	➢ सिचांई का नुकसान ➢ सिंचाई न होने से फसल प्रभावित होगी।	मइनर पर पुर बनवा कर ऊपर से एक्सप्रसवें बनाया जाए।
7	**शमशान भूमि बंजर भूमि पर–1**	➢ शवदांह ➢ शवदांह के लिए दूर जाना पडेगा।	➢शवदांह हेतु भुमि प्रस्तावित किया जाए।
8	**नाला न06–1**	➢ नाला का नुकसान। ➢ संक्रांमक रोगो का फैलाव। ➢ जल भराव की समस्या।	➢ गाँव एवं बरसात का पानी निकलन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ➢ एक्सप्रेसवे के साथ नाला का भी निर्माण किया जाए।
9	**चरागाह–1**	➢ चरागाह ➢ पशुओं को हरा चारा चरने का नुकसान	➢ चरागाह दूसरे स्थान पर प्रस्तावित किया जाए।
10	**बंजर–3**	➢ खाली भूमि का नुकसान ➢ पशुओं के चरने की समस्या ➢ छाया की समस्या ➢ पूजा पाठ की समस्या	➢ पशुओं के चरने हेतु भूमि प्रस्तावित की जाए।
11	**पक्की समाधी –2**	➢ पूर्वजों के अपमान की भावना	➢ मुआवजा की व्यवस्था की जाये।
12	**कुँआ –2** **बंजर भूमि पर**	➢ पेयजल स्त्रोत	➢ प्रभावित स्त्रोत का नष्ट करने से पूर्व नये कुआँ का निर्माण किया जाए।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

परिसम्पत्तिवार प्रभावित कृषकों के नाम

12.ग्राम का नाम :– शाहजादेपुर

क्रम संख्या	अधिग्रहित की जाने वाली परिसम्पत्तियां	प्रभावित कृषकों/ग्रामवासियों के नाम
1	**कृषि योग्य भूमि**	50 कृषकों की 0.983 हे0 भूमि
2	**सिंचाई स्त्रोत (बोरिंग+पम्पसेट)–8**	➢ राम हर्ष पुत्र सफादीन, ➢ मथुरा पुत्र बृजलाल ➢ राम लोटन पुत्र प्यारे लाल ➢ दिनेश पुत्र जगदेव ➢ बाबा देई पत्नि गंगा प्रसाद ➢ धर्मदेव पुत्र सहजराम ➢ राजाराम पुत्र छोटेलाल ➢ राधेश्याम
3	**पेड़–पौधे**	➢ राम हर्ष पुत्र सफादीन
4	**चकरोड–3**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
5	**सिचांई नाली –4**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
6	**माइनर जौखण्डी–1**	सम्पूर्ण कृषक प्रभावित।
7	**शमशान भूमि बंजर भूमि पर–1**	राम लोटन पुत्र प्यारे लाल का परिवार प्रभावित।
8	**नाला न06–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
9	**चरागाह–1**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
10	**बंजर–3**	सम्पूर्ण ग्रामवासी प्रभावित।
11	**पक्की समाधी –2**	राम लोटन के परिवार की।
12	**कुँआ –2 बंजर भूमि पर**	सूखे पडें है कोई प्रभावित नही।

उपरोक्त सूचनाएं कृषकों/ग्रामवासियों/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्वेषक के विचारों पर आधारित है।

अध्याय–4

सामाजिक समाघात आकलन के अन्तर्गत आयोजित ग्रामवार जन सुनवाई विवरण

1.ग्राम शिवलर दिनांक 7.06.2018 समय अपरान्ह 4.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	गाटा संख्या	आपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	अशोक कुमार	1418	1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5. एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क
2	मातादीन	1449		
3	सुरेन्द्रपाल			
4	रामफेर			
5	श्याम बहादुर			
6	भाईलाल			
7	सुनील कुमार	168 ख		
8	बब्लू			
9	दिलीप	135		
10	सचिन वर्मा			
11	गुडडू			
12	मटरू	1333		
13	नानू			
14	पुत्तीलाल			
15	डाकचन्द्र			
16	रामाश्रय			
17	राम रतन	1350		
18	विजय			
19	संदीप कुमार			
20	प्रदीप कुमार			
21	श्याम लाल	1438,1435		
22	शिवनाथ	1438,1435		

			को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8. गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है। 10. अबादी घोषित हो चुके गोस्वामी सुनील कुमार के पलोट का बेनामा हो चुका है किन्तु प्रतिकर की राशि नही मिली। 11. श्री जगदीश प्रसाद के परिवार की तीन समाधीयाँ क्षतिग्रस्त हो रही है।	पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए। 10. यादि व्यवासायिक क्षेत्र विकसित होता है तो आबटन मे ग्राम से प्रभावित किसानो को प्राथमिकता दी जाए। 11. अबादी घोषित हो चुके अन्य कृषक उसी के अनूरूप प्रतिकर की धनराशि मिलने की स्थिति में बेनामा कराने को तैयार है। 12. समाधीयों को नष्ट होने से बचाया जाए या किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए।

2.ग्राम मगहुंआ दिनांक 7.06.2018 समय पूर्वान्ह 10.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	गाटा संख्या	आपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	राम दुलारे सिंह पुत्र स्व0 महावीर सिंह	320,307,308,309	1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. छोटा मगहुंआ एवं बड़ा मगहुंआ गांव के बीच से अण्डरपास बनवाया जाए जिससे
2	राम दुलारे सिंह पुत्र स्व0 कालिका			
3	राम मिलन सिंह पुत्र स्व0 हनुमान सिंह			
4	ऋषि कुमार पुत्र स्व0 जानेश्वर	318,317,612		
5	राम गोपाल सिंह पुत्र राम प्यारे सिंह	306,320,307,308		
6	हेमन्त कुमार सिंह पुत्र राम दुलारे सिंह	306		
7	अमर सिंह पुत्र हनुमान सिंह			

			प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.छोटा मगहुंआ एवं बड़ा मगहुंआ गांव के बीच से एक्सप्रसेवे निकलने के कारण प्राइमरी स्कूल, बारात घर, पचायत भवन, नहर एवं लोगो का आवागमन प्रभावित हो रहा है। 10.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है।	लोग सर्वजानिक सुविधाओ का लाभ ले सके साथ ही साथ किसान को सिचाई व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए। 10. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए।

3.ग्राम जौखण्डी दिनांक 8.06.2018 समय अपरान्ह 02.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	आपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	दुर्गेश सिंह	1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है।	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए।
2	रामशरन		
3	राधेलाल		
4	जयकरन नाथ		
5	गुरूप्रसाद		
6	रामलखन		
7	जगप्रसाद		
8	राम देव		
9	धीरेन्द्र शुक्ला		
10	रामकरन		
11	दुर्गेशनरायन		

4.ग्राम चांदसराय दिनांक 8.06.2018 समय पूर्वान्ह 10.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	अपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	उदय भान सिंह	1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है।	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से . एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए।
2	विजय सिंह		
3	श्रीकान्त		
4	जयसिंह		
5	हरीश पासवान		
6	सन्तराम		
7	सकील खान		
8	मो0 शरीफ		
9	राम खेलावन		
10	धरमराज		
11	सुशील कुमार		
12	साहब दीन		
13	भारत		
14	रामचन्द्र		
15	श्रामकुमार		
16	रामशंकर		
17	नन्नहऊ		
18	शमीम खान		
19	दिनेश		
20	महमूदे		

5.ग्राम महुरा कला दिनांक 8.06.2018 समय अपरान्ह 4.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	गाटा संख्या	आपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	जयपाल वर्मा	1780 ख	1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे
2	सुशील कुमार	782 घ		
3	इकबाल नरायण			
4	उदयपाल			
5	भगवान बक्स			
6	अमानउल्लाह बेग	1738		
7	राम सिंह			
8	प्रेम कुमार			
9	महादेव			
10	मो0 सलमान			
11	राम नरेश			
12	देव नरायण			
13	उदयसिंह	1485		
14	आशा राम			
15	राम सेवक			
16	कैलाश			
17	सरलेश			
18	कमाल अहमद			
19	मिराजुददीन			
20	राम फेर			
21	देव राज			

			से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है। 10. वली उल्लाह वेग आम के बाग के अतिरिक्त अन्य द्वारा बैनामा कराया जा चुका है। बेग द्वारा निम्न आपत्तियाँ बताई गई। 11. उनके बाग का एक हिस्सा वर्ष 2016 में अधिग्रहीत किया जा चुका है। 12. उस अधिग्रहीत भूमि पर उनकी बोरिंग एवं पम्पसेट था जिससे पूरे बाग की ड्रिफट सिचाई हो रही थी। 13. यह व्यवस्था उनके द्वारा बाग के दूसरे स्थान पर की हैं। अब पुनः उसी भाग का अधिग्रहण किया जा रहा है जो अनूचित है। 14. उनको अन्य बाग लगाने मे व्यय तो आयेगा ही जिसे परिपक्व होने में कई वर्ष लग जायेगे	को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए। 10. यादि व्यवासायिक क्षेत्र विकसित होता है तो आबटन मे ग्राम से प्रभावित किसानो को प्राथमिकता दी जाए। 11. बाग का विशिष्ट प्रतिकर दिया जाना चाहिए। 12. लोनी नदी में गिरने वाले नाले को क्षति न पहुचाई जाए।

			इससे उनको प्रतिवर्ष 10 लाख का नुकसान होगा। 15. बाग में काम करने वाले मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 16. लोनी नदी में गिरने वाले नाले के बन्द हो जाने से ग्राम मे जलभराव हो जाएगा।	

6.ग्राम बेली दिनांक 7.06.2018 समय पूर्वान्ह 10.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	गाटा संख्या	आपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	जगदीश प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद	19	1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया
2	लल्लू एण्ड सन्स के प्रतिनिधि/वकील			
3	बंजरग पुत्र जोधा			
4	राम कुमार पुत्र गोपी			
5	राजपाल पुत्र द्वरिका			
6	हरिचन्द्र पुत्र मैकू			
7	राजेश पुत्र सोत्रोहन			
8	सुनील अग्रवाल			
9	मनोज त्रिपाठी			

			जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है। 10. लल्लू एण्ड सन्स की अधिग्रहीत भूमि आवासीय घोषित हो चूकी है जिसमे 8 टीन शेड के गोदाम एक बोरिग एक भवन व बाउन्डरी क्षतिग्रस्त हो रही है। 11. श्री जगदीश प्रसाद के परिवार की तीन समाधीयाँ क्षतिग्रस्त हो रही है।	जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए। 10. यादि व्यवासायिक क्षेत्र विकसित होता है तो आबटन मे ग्राम से प्रभावित किसानो को प्राथमिकता दी जाए। 11. आवासीय घोषित हो चूकी भूमि मे अवस्थित में सभी निर्माण कार्यो का प्रतिकर दिया जाना चाहिए। 12. समाधीयों को नष्ट होने से बचाया जाए पिलर बना कर सुरक्षित किया जाए।

7.ग्राम आदमपुर नौबस्ता दिनांक 8.06.2018 समय अपरान्ह 2.00 बजे

क्र0सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	गाटा संख्या	आपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	सुखमी लाल		1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है।	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी
2	श्रवण कुमार			
3	संजय			
4	श्याम लाल			
5	मायाराम			
6	सत्य नरायण			
7	राहुल वर्मा			
8	महेश कुमाार			
9	अजीत कुमार वर्मा			
10	पंकज कुमार वर्मा			
11	शिवदयाल			
12	सत्यदेव विश्वकर्मा			
13	राम नरायण			
14	राम मनोहर पुत्र	1678,1681,1682		
15	होशराम वर्मा	887		

			10. श्री राम दीन के मुर्गी फार्म का मूल्यन नही किया गया है। 11. प्रभावित एक कृषक जेल में बन्द है। कई कृषक मुम्बई एवं अन्य शहरों में रोजगार कर रहे है।	दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए। 10. यादि व्यवासायिक क्षेत्र विकसित होता है तो आबटन मे ग्राम से प्रभावित किसानो को प्राथमिकता दी जाए। 11.बेनामा करने हेतु जेल में बन्द कृषक को पेरोल पर जमानत दिलाई जानी चाहिए जबकी अन्य शहरों मे कार्यरत कृषकों को आने–जाने का किराया देने पर विचार किया जाना चाहिए।

8.ग्राम देहरामऊ दिनांक 7.06.2018 समय अपरान्ह 04.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	गाटा संख्या	अपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	शिव प्रसाद पुत्र बंजरग	90,91,92	1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी
2	भवानी शंकर पाण्डेय पुत्र गया प्रसाद पाण्डेय	93,94,95		
3	बंजरग पुत्र राम दास	98		
4	बलवीर सिंह पुत्र बंजरग	90,91,92		
5	राकेश कुमार पुत्र स्व0 मेवा लाल	36		
6	प्रमोद सिंह पुत्र स्व0 मेवा लाल	36		
7	विषय सिंह पुत्र स्व0 मेवा लाल	36		
8	अरूण कुमार पुत्र स्व0 मेवा लाल	36		
9	शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र शिवबालक सिंह	44		
10	देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्र शिवबालक सिंह	44		
11	शिवबालक सिंह पुत्र राम सागर	81		
12	सरोजबाला पत्नी शिवबालक सिंह	43		
13	अवधेश कुमार पुत्र प्यारे लाल	88		
14	स्व0 शत्रुहन लाल पुत्र स्व0 रामलाल के प्रतिनिधि (9559244051)	87		
15	जग प्रसाद पुत्र बंजरग	90,91,92		
16	राम सिंह पुत्र स्व0 अवध नरेश	102		
17	राम चन्द्र वर्मा पुत्र	36		

	स्व0 मेवा लाल		चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है।	दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए।
18	शिवकुमार पुत्र स्व0 मेवा लाल	36		

9.ग्राम हसनापुर दिनांक 7.06.2018 समय अपरान्ह 2.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	गाटा संख्या	आपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	जग बहादुर		1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की
2	बुकलू			
3	रामफेर			
4	शिवप्रसाद			
5	सूर्यबक्स			
6	ज्ञान बाबू			
7	गरीबे			
8	जवाहिर			
9	जसकरन			
10	कमलेश कुमार			
11	सुखाई			
12	शिवराज सिंह			
13	दीपक कुमार	398		
14	श्याम बाबू वर्मा	248		
15	बलराज सिंह			

			पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है। 10. एक्सप्रसेवे के निर्माण से गाँव दो हिस्से में बट जाएगा। 11. गाँव का सर्किल रेट कम है बोरिंग और पम्पसेट का प्रतिकर नही दिया गया है।	जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए। 10. यादि कही भूमि दी जाती है तो उससे समतल करके दिया जाए। 11.यादि व्यवासायिक क्षेत्र विकसित होता है तो आबटन मे ग्राम से प्रभावित किसानो को प्राथमिकता दी जाए।

10.ग्राम पहासा दिनांक 7.06.2018 समय अपरान्ह 02.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	गाटा संख्या	अपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	मैंफूज अली पुत्र महबूब अली	247	1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही
2	राकेश कुमार पुत्र स्व0 राम बहादुर	35,325		
3	नवाब अली पुत्र महबूब अली	247		
4	अमिता रानी पुत्री अंजनी कुमार	221		
5	अंजनी कुमार पुत्र जुगुल किशोर	324(क) 212		
6	राजकुमार पुत्र जुगुल किशोर	218,220,246,248,249,328,332		
7	रविन्द्र कुमार पुत्र जुगुल किशोर	218,220,246,248,249,328,332		
8	लल कुमार पुत्र जुगुल किशोर	218,220,246,248,249,328,332		
9	अंजनी कुमार पुत्र जुगुल किशोर	218,220,246,248,249,328,332		
10	चन्द्रिका प्रसाद पुत्र मेढीलाल	20		
11	सत्तू पुत्र जोधा	1,2,3		
12	विद्यावती पत्नी रमेश चन्द्र यादव	07		
13	लवकुश पुत्र विरेन्द्र कुमार	331		
14	संजय कुमार पुत्र बेचालाल	21		
15	चन्द्र प्रकाश पुत्र राम सुमिरन	1,2,3		
16	विमला देवी पत्नी स्व0 शिव शंकर	8,325 ख		
17	सुमन देवी पत्नी चन्द्रशेखर	1,,2,3		
18	कमला देवी पत्नी स्व0 राम लखन	40		

19	राम चन्दर पुत्र राम फली	8,325 ख	बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है।	भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए।
20	विजय कुमार सिंह पुत्र राम नरायन सिंह	11		
21	चरन सिंह पुत्र स्व0 शिव शंकर	8,325 ख		
22	करन सिंह पुत्र स्व0 शिव शंकर	8,325 ख		
23	जय सिंह पुत्र स्व0 शिव शंकर	8,325 ख		
24	मुस्ताक अली पुत्र महबूब अली	247		
25	सूरज लाल पुत्र राम सनेही	226		
26	अरफाक अली पुत्र महबूब अली	247		
27	छोटे लाल पुत्र राम सुमिरन	1,2,3		
28	अजमत अली पुत्र कल्लू	211,247		
29	इम्त्याज अली पुत्र महबूब अली	247		
30	प्रहलाद पुत्र नन्हू	38 अ 38 ब		
31	कुलदीप पुत्र प्रहलाद	38 अ 38 ब		
32	आशाराम पुत्र प्रहलाद	38 अ 38 ब		
33	नौमी लाल पुत्र मुन्नी लाल	23		
34	राम नरेश पुत्र राम फली	8,325 ख		
35	अरूण कुमार पुत्र राम रतन	222,325		
36	देवतादीन पुत्र मेवालाल	19,214		
37	सन्तोष कुमार पुत्र मेवालाल	19,213		
38	मुन्नालाल पुत्र मेवालाल	19,214		
39	अब्दुल राशिद पुत्र कल्लू	211,247		
40	अब्दुल आरिफ पुत्र कल्लू	211,247		

11.ग्राम रसूलपुर आशिकअली दिनांक 8.06.2018 समय पूर्वान्ह 10.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	गाटा संख्या	आपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	प्रेमचन्द्र वर्मा पुत्र दरबारी लाल		1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा।	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से . एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया
2	तुलसी राम पुत्र संतराम			
3	शोभालाल भागीरथी			
4	शिव कुमार पुत्र श्यामलाल			
5	बबादीन पुत्र राम औतार			
6	शिवनरायण			
7	जगदीश			
8	मनोज कुमार			
9	उमेश कुमार			
10	शिव कुमार			
11	आशिष कुमार			
12	केशराम			
13	अनिल कुमार			
14	सुरेश बाबू			

			6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है। 10. श्री प्रसाद बहादुर द्वारा निर्मित तालाब नोटिफिकेशन मे अंकित नही है।	जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए। 10. यादि व्यवासायिक क्षेत्र विकसित होता है तो आबटन मे ग्राम से प्रभावित किसानो को प्राथमिकता दी जाए। 11. एक तालाब खुदवाया जाना चाहिए।

12.ग्राम शहजादेपुर दिनांक 8.06.2018 समय अपरान्ह 04.00 बजे

क्र0 सं0	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम	आपत्तियाँ	सामाजिक समाघात आकलन के सुझाव
1	मातादीन	1. एक्सप्रसेवे के ऊचा होने के कारण उसका सम्पर्क अन्य गांव एवं कस्बों से कट जाएगा जिससे उसकी सामाजिकता भी प्रभावित होगी। 2. प्रभावित किसान द्वारा अवगत कराया गया है कि बाजार भाव के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रू0 प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 3. एक्सप्रसेवे के किनारे अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि बेकार हो जायेगी एवं उसका अन्य लोगो द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है। 4. एक्सप्रसेवे पर चलना मंहगा हो जाएगा। 5.एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए सभी ग्रामवासियों को आधिक समय, दूरी एवं धन व्यय करना पड़ेगा। 6. ग्राम पंचायत की आय में कमी आ जाएगी। 7. एक्सप्रसेवे पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण फैल जाएगा जिससे फसल एवं बागवानी का नुकसान होगा। 8.गांव के बटाई कृषक एवं कृषक मजदूर बैरोजगार हो जायेगे। 9.एक्सप्रसेवे निकलने से फलदार पेड़ एवं हरियाली का नुकसान हो रहा है।	1. गांव के मुख्य सम्पर्क मार्गों एवं चकरोटों के अत्यन्त समीप से अण्डरपास किया जाए। 2. प्रशासन द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श कर भूमि के पुर्नमूल्यन की आवश्यकता है। 3. अधिग्रहण से बची हुई थोडी सी भूमि का भी प्रतिकर दिया जाए। 4. प्रभावित किसानों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। 5. ग्राम की आबादी के सम्मुख से .एक्सप्रसेवे पर जाने के लिए समपर्क मार्ग एवं सर्विस लाइन का निर्माण कराया जाए। 6. टोल टैक्स से होने वाली आय का कुछ अशं ग्राम पंचायतों को अजीवन दिया जाए। 7. फसलों एवं बागों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान का आंकलन कर उसका भी प्रतिकर दिया जाए। 8. बटाई कृषक एवं कृषक मजदूरों के पुर्नवासन की व्यवस्था की जाए। 9. प्रभावित किसानों को पौधे लगाने हेतु निशुल्क पौधे एवं काटेदार तार की व्यवस्था की जाए साथ ही साथ उचित प्रतिकर भी दिया जाए। चूँकि पेड़–पौधे को तैयार होने मे समय लगता है इस बीच पौधो व फलो से होने वाले नुकसान का भी प्रतिकर दिया जाए। किसान के पास कही भी जमीन न होने की दशा में पेड़ लगाने हेतु जमीन भी दी जाए।
2	राम लोटन रावत		
3	राम पाल		
4	राजकुमार		
5	रामस धीवन		
6	शम्भु		
7	भवानी		
8	राजाराम		
9	नारेन्द्र		
10	जितेन्द्र		
11	सुरेन्द्र कुमार		
12	राजाराम		
13	मनोज कुमार		
14	अयोध्या यादव		
15	आशाराम		

अध्याय–7

सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन से सम्बधित संस्तुतिया

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 12 ग्रामों के सामाजिक समाघात निर्धारण/आंकलन के आधार पर यह निष्र्कष पाया जाता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना पूर्वी उत्तर को प्रदेश के शेष भाग से जोडने सम्बन्धी है। इस परियोजना के पूर्ण होने से प्रादेशिक राजधानी से एन0सी0आर0 व पूर्वी उत्तर प्रदेश की पंहुच सुगतमता व सरलतापूर्वक कम समय मे पूर्ण होगी, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों मे बृद्धि होने के साथ कृषि उपजो को एक स्थान से दूसरे स्थान को कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण से नकरात्मक प्रभावों की अपेक्षा सकारात्मक प्रभाव अधिक होगे, नकरात्मक प्रभावों को सामाजिक प्रभाव शमन योजना से कम किया जा सकता है अतः प्रभावित कृषकों को उनकी भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों का समुचित प्रतिकर देते हुए ही इनका अधिग्रहण किया जाना चाहिए।